Par. S. 17. II. 13. 52.
285

अंक २

संख्या १३

सत्यमेव जयते

शुक्रवार

२५ जुलाई, १९५२

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

———:o:———

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३१६५—३२०९]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३२०९—३२४८]

(मूल्य ४ आने)

494 P.S.D.

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, २५ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"अपने एक्सचेंज का स्वामित्व प्राप्त करो" योजना

***२१०३. सरदार हुक्म सिंह** : (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सन् १९५० में घोषित "अपने एक्सचेंज का स्वामित्व प्राप्त करो" योजना को कोई विशेष सफलता नहीं मिली ?

(ख) इस योजना के लोकप्रिय न होने के क्या कारण थे ?

(ग) ऐसे एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है जहां यह योजना चल रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी हां ।

(ख) (१) लोगों की ५०,००० रुपये की अपेक्षित राशि जमा करने में असमर्थता अथवा अनिच्छा ।

(२) जहां ५०,००० रुपये जमा किये जाने को प्रस्तुत भी किया गया वहां योजना का अलाभकर समझा जाना ।

(३) जमा की गई राशि पर स्वीकृत ब्याज की दर, अर्थात् २ ३/४ प्रतिशत, का बहुत कम समझा जाना ।

(४) ऋण की कालावधि का बहुत अधिक समझा जाना ।

(ग) तीन ।

सरदार हुक्म सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वर्तमान व्यवस्था अत्यधिक उत्साहजनक या सफल नहीं रही है, क्या सरकार इन शर्तों को कुछ और नर्म करने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : कुछ सीमा तक तो हमने शर्तों को पहले ही नर्म कर दिया है । पहले, ५०,००० रुपये की राशि एक व्यक्ति को जमा करनी पड़ती थी । अब हमने यह व्यवस्था कर दी है कि इस योजना के अन्तर्गत २५ व्यक्ति मिल कर दो-दो हज़ार रुपये जमा कर सकते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जून, १९५० में योजना के प्रारम्भ होने से अब तक कुल कितने एक्सचेंज बनाये गये हैं ।

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैं बतला चुका हूं, अब तक ऐसे कुल तीन एक्सचेंज खुले हैं । ये एक्सचेंज मालेगांव, कपड़वंज और बदौम में हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन लोगों को जिनके ये एक्सचेंज हैं, कोई रियायत मिलती है ?

श्री राज बहादुर : उन्हें जमा की गई राशि पर ५ ३/४ प्रतिशत ब्याज मिलता है।

सरदार हुक्म सिंह : इस ऋण का पुनः भुगतान कब और कैसे होगा ?

श्री राज बहादुर : इस का पुनर्भुगतान २० वर्ष में होना है।

संदेश दर प्रणाली

*२१०४. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संदेश दर प्रणाली से टेलीफोन एक्सचेंजों पर 'लोड' कम हो गया है?

(ख) इस समय कितनी जगहों पर संदेश दर प्रणाली चालू है ?

(ग) संदेश दर प्रणाली प्रारम्भ होने से इन स्थानों में 'काल' से होने वाली आय बढ़ गई है या घट गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) १२।

(ग) संदेश दर प्रणाली के चालू होने से पहले कोई "काल चार्ज" नहीं लिया जाता था ; अतः यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

सरदार हुक्म सिंह : क्या संदेशों के हिसाब में ग़लती होने की भी कोई शिकायत मिली है ?

श्री राज बहादुर : शिकायतें आती हैं और उन की जांच की जाती है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ?

श्री राज बहादुर : इस के लिये मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि कलकत्ते में एक शिकायत की गई थी कि कुछ संदेश एक डाक्टर के नाम से भेजे हुये लिख लिये गये जब कि वह डाक्टर दूकान बन्द कर के भी चला गया था ?

श्री राज बहादुर : यह तो एक विशिष्ट प्रकार की शिकायत है जो मेरी सूचना में नहीं आई है। मैं माननीय मंत्री का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह बात बतलाई।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस प्रणाली को अगले वर्ष कुछ अन्य स्थानों में भी चालू करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री राज बहादुर : जी हां इस वर्ष हम इस योजना को हैदराबाद, कोयम्बटूर, शिलौंग, त्रिवेन्द्रम, लुधियाना, जालन्धर, और जयपुर में भी चालू करने का विचार कर रहे हैं।

हिन्दी में लिखे तारों का भेजा जाना

*२१०५. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी तारों के भेजे जाने की व्यवस्था अन्य स्थानों में भी लागू की जा रही है ?

(ख) जिन स्थानों में यह व्यवस्था मौजूद है क्या वहां की जनता ने इससे खूब फ़ायदा उठाया है ?

(ग) क्या उन स्थानों से देवनागरी लिपि में लिखे गये किसी अन्य भारतीय भाषा के तार भी भेजे गये हैं ?

(घ) यदि हां, तो ३१ दिसम्बर, १९५१ से लगा कर ३१ मार्च १९५२ तक की समय विधि में प्रत्येक स्थान से ऐसे कितने तार भेजे गये ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। हिंदी में तार भेजने की व्यवस्था, प्रारम्भ में, १ जून १९४९ को, ९ स्थानों में चालू की गई थी। बाद में यह १९४९-५० में ३, १९५०-५१ में ६ और १९५१-५२ में ५ और स्थानों में चालू कर

दी गई। चालू वर्ष में इस सूची में एक स्थान तो बढ़ाया जा चुका है।

(ख) इस व्यवस्था का जनता द्वारा कोई विशेष लाभ नहीं उठाया गया। कुछ स्थानों को छोड़कर शेष सब जगह हिंदी तारों की औसत संख्या १ प्रति दिन रही है। सप्ताह की अधिक से अधिक औसत संख्या लगभग २० रही है।

(ग) जहां भी हिंदी में तार भेजने की व्यवस्था विद्यमान है, वहां देवनागरी लिपि में लिखे गये किसी भी भारतीय भाषा के तार स्वीकार किये जा सकते हैं। व्यवहारिक रूप में यह देखा गया है कि कुछ मराठी भाषा के तार बम्बई राज्य के स्थानों से भेजे जाते हैं और कभी कभी सैंट्रल सर्किल के स्थानों से कुछ तार मारवाड़ी भाषा के भी भेजे जाते हैं।

(घ) विभिन्न भारतीय भाषाओं में भेजे गये तारों की अलग अलग संख्या तो रखी नहीं जाती। हां, १ जनवरी से ३१ मार्च १९५२ तक के समय में ऐसे जो तार भेजे गये उनकी अनुमानित संख्या इस भांति है:

बम्बई राज्य के स्थानों से--४८७ मराठी में।

मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्थानों से--२ मराठी में, १० मारवाड़ी में।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार वर्ष के शेष भाग में इस योजना के अन्तर्गत और स्थान सम्मिलित करने का विचार कर रही है?

श्री राज बहादुर : जी हां।

सरदार हुक्म सिंह : कितने स्थान ?

श्री राज बहादुर : इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हिंदी में जाने वाली तारों की संख्या बढ़ती जाती है?

श्री राज बहादुर : है, किंतु जितनी आशा की जाती है और जिसको संतोषजनक कहा जा सकता है उतनी गति से नहीं।

पोस्टकार्ड बेचने वाली आत्मगतिक मशीन

*२१०६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक तथा तार विभाग ने पोस्ट-कार्ड बेचने वाली आत्मगतिक मशीन का जो प्रयोग किया उस पर कुल कितनी लागत आई;

(ख) जिस सार्थ से ये मशीन खरीदी जा रही है क्या उसने उन दोषों को दूर कर दिया है जो कि उक्त मशीन में पाये गये थे; तथा

(ग) इस मशीन की खरीद की शर्तें क्या थीं?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पोस्टकार्ड बेचने वाली मशीन पर अबतक कुल १२५६ रुपये १० आने ३ पाई बहिःशुल्क के रूप में खर्च पड़े हैं।

(ख) जी हां।

(ग) यदि मशीन का प्रयोग सफ़ल सिद्ध हो गया तो हमें उसे रखने के लिए २४९३ रुपये देने पड़ेंगे। यदि प्रयोग सफ़ल नहीं हुआ तो और मशीन वापस करनी पड़ी तो हम केवल ८३१ रुपये देंगे। यह रक़म मशीन को हमारी जरूरत के माफिक बनवाने की लागत की आधी होगी।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि सरकार का इस प्रयोग को करने का यथार्थ अभिप्राय और उद्देश्य क्या था, क्या वह शौक के रूप में यह मशीन रखना चाहती थी या व्यय में कमी लाने अथवा किसी

प्रकार की जिज्ञासा पूरी करने की दृष्टि से इस का प्रयोग करना चाहती थी ?

श्री राज बहादुर : ऐसी कोई बात नहीं थी, श्रीमान् । इससे जनता को अधिक फ़ायदा तथा सुविधा होने की संभावना है। ऐसी मशीनों के चालू होने पर लोगों को सार्वजनिक छुट्टियों के दिनों में भी पोस्टकार्ड टिकट आदि मिल सकेंगे । इसके अलावा, ये चीज़ें ऐसे समय भी मिल सकेंगी जब कि डाकघर बन्द हो । ऐसे अनेक लाभ पहुंचेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन मशीनों को चालू करने से पहले सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि भारत में बहुत सी जन शक्ति ऐसी पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है और बहुत से आदमी*

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय सदस्य तर्क में पड़ते जा रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं तो यह जानना चाहता हूं, श्रीमान्, कि इस देश में, जहां इतनी अधिक जनशक्ति उपलब्ध है, इस मशीन के प्रयोग किये जाने का क्या अभिप्राय था ? आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । इस प्रश्न के उत्तर दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस मशीन का प्रयोग पहले भारत में ही किया जा रहा है या यह अन्य देशों में भी प्रयोग की जा चुकी है ?

श्री राज बहादुर : ऐसी मशीनें अन्य देशों में बहुत बड़ी संख्या में चालू हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मशीन के प्रयोग का विचार आरम्भ में भारत सरकार ने ही किया या किसी अन्य देश के सार्थ ने सुझाया ?

श्री राज बहादुर : हम डाक व्यवस्था में उन्नति करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि हमने सोचा कि जनता को यह सुविधा दी जा सकती है, अतः हमने इसके लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि और मशीनों के लिये किस देश से बात चीत तय की गई है ?

श्री राज बहादुर : मैं इस प्रश्न का उत्तर कई बार दे चुका हूं, श्रीमान् । यह स्विटज़रलैंड का मैसर्स सोडोको नामक सार्थ है।

काफ़ी

***२१०७. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय काफ़ी की खेती किन किन राज्यों में होती है ;

(ख) १९५०-५१ और १९५१-५२ में कितनी कितनी एकड़ भूमि पर काफ़ी की खेती की गई और कितना-कितना उत्पादन हुआ (राज्यवार) ; तथा

(ग) १९४७-४८ और १९५१-५२ में कुल कितने काफी उद्यान थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) मैसूर, मद्रास, कुर्ग, त्रावनकोर-कोचीन और कुछ उड़ीसा में ।

(ख) तथा (ग). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्राप्य जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १९**]

सदन की जानकारी के हेतु मैं यह बतला दूं कि १९५०-५१ में काफ़ी उद्यानों की कुल संख्या १०,८५१ थी, जब कि १९४७-४८ में यह ६,५४६ ही थी। इसी प्रकार १९५०-५१ में काफ़ी की खेती के अन्तर्गत कुल भूमि

१,२४,२१५ एकड़ थी जब कि १९४७-४८ में यह २,१४,८१६ एकड़ थी ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से यह पता चलता है कि अन्य राज्यों के मुकाबले उड़ीसा में काफ़ी का उत्पादन बहुत कम है । क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में काफ़ी की उपज बढ़ाने के लिये क्या क्या क़दम उठाये गये हैं ?

श्री करमरकर : जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने विवरण में देखा होगा उड़ीसा में काफ़ी की उपज बढ़ने की आशा बहुत कम है । काफ़ी उद्यानों की संख्या तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है ; हां, कुल उत्पादन, जो १९४७-४८ में १४३ पौंड था, १९५०-५१ में ७७१ पौंड हो गया है । क़ाफ़ी केवल ऐसे स्थानों पर उगाई जा सकती है जहां ऐसा करना संभव हो।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पश्चिमी बंगाल के चाय क्षेत्रों में भी काफ़ी उगाने के कोई प्रयोग किये गये हैं ?

श्री करमरकर : इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय उपमंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में काफ़ी उत्पन्न करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री करमरकर : शायद हो रही हो, हमें तो पता नहीं।

श्री पी० टी० चाको : आजकल काफ़ी के बीज प्राप्त करने की जो प्रणाली विद्यमान है, क्या उसके अन्तर्गत छोटे से छोटे उत्पादक को भी बीज देने से मुक्त नहीं किया जाता, चाहे वह अपनी ज़रूरत के लिये ही बीज उत्पन्न क्यों न कर रहा हो ? क्या सरकार ऐसे उत्पादकों के रक्षण के लिये कोई कार्यवाही कर रही है, जो केवल इतनी मात्रा में ही बीज उत्पन्न करते हैं जितनी कि उन्हें अपने प्रयोग के लिये चाहिये ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के अन्तर्गत मुझे यह जानकारी नहीं है । हां, यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न रखें तो मैं यह पता लगा सकता हूं ।

श्री नेसवी : क्या यह भूमि खाद्य फ़सलों के लिए भी उपयुक्त रहती है ?

श्री करमरकर : जहां तक भूमि तथा जलवायु का संबंध है, कॉफ़ी की खेती कुछ अजीब परिस्थितियों में होती है । यदि मेरे माननीय मित्र जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि भारत में अनुभव से यह पता चला है कि कॉफ़ी की खेती के लिये समुद्र की सतह से १५०० से लेकर ५५०० फुट ऊंची तक भूमि अधिक अच्छी रहती है । भूमि की ठीक-ठीक ऊंचाई अधिकतर अक्षांश पर निर्भर होती है जिसे मोटे तौर पर उत्तर तथा दक्षिण में २५ अक्षांश कहा जा सकता है । कॉफ़ी के उत्पादन के लिये सब से अधिक उपयुक्त तापक्रम ५५° से लेकर ८०° तक होता है ।

श्री एन० सोमना : 'अरेबिका' कॉफ़ी कितनी एकड़ भूमि में उगाई जा रही है ?

श्री करमरकर : इसके ठीक आंकड़े मुझे पता नहीं हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : भारत में कुल कितनी किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है और कौन सी किस्म सबसे ज्यादा पसन्द की जाती है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि यहां दो किस्म की कॉफ़ी उत्पन्न होती है : 'रोबस्ता' और 'अरेबिका' । एक तो पहाड़ियों में जंगली तौर पर उत्पन्न होती है, दूसरी की खेती की जाती है ।

"अधिक अन्न उपजाओ" समिति

*२१०८. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि "अधिक अन्न उपजाओ" समिति कितने बार समवेत हुई और उसकी अन्तिम सिपारिशें क्या हैं ?

(ख) क्या समिति के सदस्यों ने सारे भारत का दौरा किया है ?

(ग) समिति ने किन-किन असरकारी संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श किया है ?

(घ) समिति के संबंध में कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) समिति की तीन बैठकें हुई थीं। समिति की अन्तिम सिपारिशें उसकी रिपोर्ट के पृष्ठ ६९--७७ पर दी हुई हैं। यह रिपोर्ट सदन-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) समिति ने व्यापार-मंडलों, विश्व-विद्यालयों, राजनैतिक संस्थाओं, सहकारी तथा भूमि बंधक बैंकों, कृषि में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों और "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन से संबद्ध तथा उसमें रुचि रखने वाले असरकारी व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किया था।

(घ) लगभग २१,००० रुपये।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस समिति की सिपारिशों की तुलना मैत्रा समिति की सिपारिशों के साथ की जायेगी और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री करमरकर : इस समय तो हमारा ध्यान मुख्य रूप से इस समिति की रिपोर्ट पर है। वैसे अन्य संगत बातों पर भी ध्यान दिया जायगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस समिति की रिपोर्ट के प्रतियां सदन के सदस्यों को दी जायेंगी ?

श्री करमरकर : मैं ने कहा एक प्रति सदन-पटल पर रख दी गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रतियां सदन के सदस्यों को भी मिलेंगी ?

श्री करमरकर : मैं वायदा नहीं कर सकता। सदस्यों को ये प्रतिएं दिया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी प्रतियां मौजूद हैं। हम सभी को इस में रुचि है; हां, हम कुछ प्रतियां संसदीय सूचनालय में अवश्य रख देंगे।

श्री वैलायुधन : क्या सरकार ने इस समिति से कोई फ़ायदा उठाया है ; और यदि उठाया है, तो क्या ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

श्री एस० एन० दास : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि अधिक अन्न उपजाओ योजना की क्रियान्विति के बारे में पूछताछ करने के लिए समिति ने राज्यों का दौरा क्यों नहीं किया ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि समिति के सदस्यों ने थोड़ा बहुत भ्रमण किया था। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनको राज्यों से तथा कोई १०७ व्यक्तियों तथा संस्थाओं से पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो गई थी, उनका देश में घूमना कोई जरूरी नहीं समझा गया।

श्री एस० एन० दास : इस योजना की विभिन्न राज्यों में क्रियान्विति के बारे में यहां कई बार शिकायतें की गई थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बात निर्देश पदों में सम्मिलित की गई थी या नहीं।

श्री करमरकर: निस्संदेह, इस बात पर सारे दृष्टिकोणों से विचार किया गया था। यदि माननीय सदस्य रिपोर्ट पढ़ें तो वह देखेंगे कि यह काफ़ी व्यापक तथा सही है।

श्री आर० एन० सिंह: क्या यह सही नहीं है कि कुछ प्रांतों में तो यह 'ग्रो मोर फूड कम्पेन' (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) एक प्रहसन मात्र था?

श्री करमरकर: माननीय सदस्य के इस आरोप को मैं स्वीकार नहीं करता और उससे इंकार करता हूं। कमेटी की फ़ाइंडिंग (उपपत्ति) यह है: "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन सफल रहा है।

श्री वीरस्वामी क्या राज्यों में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के परिणामों से सरकार को संतोष है?

श्री करमरकर: सरकार को संतोष तो है किंतु यह संतोष पूरा नहीं कहा जा सकता।

भारत बर्मा व्यापार क़रार

*२१०९. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-बर्मा व्यापार क़रार के अन्तर्गत भारत में अब तक कुल कितने बर्मा चावल का आयात किया गया?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): भारत-बर्मा व्यापार क़रार के अन्तर्गत, जो मई १९५१ में किया गया था, १९५१ में २,११,००० टन और १९५२ में, १५ जुलाई, १९५२ तक, २,३४,००० टन चावल का आयात किया गया।

डा० राम सुभग सिंह: इस भारत-बर्मा क़रार के अन्तर्गत कुल कितने चावल का आयात किया जाना है?

अध्यक्ष महोदय: क्या इस प्रश्न का उत्तर पहले कभी नहीं दिया जा चुका है?

श्री सरमा: बर्मा चावल का मूल्य भारत में जहाज से उतारे जाने पर क्या पड़ता है?

श्री करमरकर: कीमत बतलाया जाना लोक-हित में नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इस क़रार के अन्तर्गत कुल कितना आयात किया जायेगा?

श्री करमरकर: १९५१ में कुल २,४०,००० टन चावल का आयात किया जाना था जिसमें से, मुझे पता लगा है, २,३०,००० टन का आयात हुआ। १९५२ में, कार्यक्रम के अनुसार, कुल ३,५०,००० टन का आयात किया जाना था जिसमें से कोई २,००,००० टन का ही आयात हो पाया।

श्री पी० एन० राजभोज: बर्मा से आयात होने वाले चावल की तुलनात्मक कीमत क्या है; क्या वह हिंदुस्तानी चावल से बहुत अच्छा होता है?

श्री करमरकर: इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह बतलाना लोक-हित में अच्छा नहीं होगा।

सरदार हुक्म सिंह: क्या क़रार के अन्तर्गत १९५५ के अन्त तक एक निश्चित मात्रा में चावल प्राप्त होता रहेगा या हर वर्ष उसकी मात्रा नये सिरे से निश्चित की जायेगी?

श्री करमरकर: माननीय सदस्य का कहना ठीक है, श्रीमान्। फिल हाल हमने क़रार १९५२ से १९५५ तक ४ वर्ष के लिए किया है। वास्तव में क़रार पांच वर्ष के लिये था। क़रार १९५५ तक लागू रहेगा। चार वर्षों में ३,५०,००० टन के आयात की प्रस्थापना है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या सरकार बर्मा के चावल का असरकारी रूप से आयात करने देती है?

श्री करमरकर : असरकारी व्यापार सूत्रों के द्वारा असरकारी रूप से आयात ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का भी पहले उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री दामोदर मेनन : श्रीमान्, माननीय मंत्री ने कहा कि बर्मा के चावल की कीमत बतलाना लोक-हित में इष्टकर नहीं है । मैं इस संबंध में आपका विनिर्णय चाहता हूं । आखिर हमें उन चीजों की कीमतें तो ज्ञात होनी ही चाहियें जो सरकार बाहर से मंगवा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : तात्पर्य यह है कि लोक-हित की आड़ में कीमतें न बतलाने से क्या लाभ है ।

श्री करमरकर : श्रीमान्, मैं जो कारण बतलाऊंगा सदन उसको स्वीकार करेगा । विभिन्न समय पर हम विभिन्न विभिन्न देशों से बात चीत करते रहते हैं । मान लीजिये उस देश के साथ तय की गई कीमत प्रकाशित कर दी जाती है और वह उस कीमत से अधिक होती है जो हम किसी अन्य देश के साथ तय करने जा रहे हैं; तो जिस देश को हम कीमत कम दे रहे हैं वह कहेगा : " उस देश से तो आप चावल अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं " । सारी कठिनाई यह है ।

चीन से माइलो का आयात

*२११०. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या भारत में चीन से माइलो (लाल जवार) का आयात किया गया है ?

(ख) यदि हां तो जनवरी, १९५२ से ले कर अब तक चीन से कुल कितना माइलो भारत मंगाया जा चुका है ?

(ग) क्या चीनी माइलो अमरीकी माइलो से सस्ता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ९० हज़ार टन ।

(ग) भिन्न भिन्न सूत्रों से हाल में जो क्रय किया गया उसकी कीमत के बारे में जानकारी देना सरकार वांछनीय नहीं समझती ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, माननीय मंत्री ने कहा है कि तुलनात्मक मूल्य बतलाना लोक-हित में इष्टकर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका ऐसा कहने का उचित कारण है ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या सरकार इस माइलो को सस्ते भाव से मिलने के लिये कुछ आर्थिक सहायता देती है ?

श्री वीरस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि मद्रास राज्य के लोग माइलो को पसन्द नहीं करते हैं या उसकी बहुत थोड़ी मात्रा लेते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां नहीं उठता ।

श्री रघवय्या : इस माइलो के आयात के लिये विदेशी जहाज़ों का प्रबन्ध किया गया है या भारतीय जहाज़ों का ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं आजकल भारतीय जहाज़ सामान्यतया प्राप्त नहीं होते । इन करारों में हम यही प्रयत्न करते हैं कि शर्तें भारतीय जहाज़ों के प्रयोग किये जाने के पक्ष में रक्खें ।

श्री दाभी : देश में कुल कितने माइलो का स्टॉक है ?

श्री करमरकर : यह तो मुझे मालूम करना होगा ।

श्री वीरस्वामी : क्या सरकार जानती है कि मद्रास राज्य के लोग माइलो नहीं लेना चाहते ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघवय्या: क्या मैं जान सकता हूं कि इस माइलो के आयात के लिये विदेशी जहाज़ों की व्यवस्था की जाती है या भारतीय जहाज़ों की ?

श्री करमरकर: मैं समझता हूं इस समय भारतीय जहाज़ तो उपलब्ध नहीं हैं, हां, इन करारों में सामान्यतया हमारी यह चेष्टा रहती है कि शर्तें भारतीय जहाज़ों के पक्ष में रखी जायें ।

श्री दाभी: इस समय देश में आयात किये गये माइलो की कुल कितनी मात्रा मौजूद है ?

श्री करमरकर: मैं इसका उत्तर तत्काल ही नहीं दे सकता ।

गन्ने का मूल्य

*२१११. **श्री शिवनंजप्पा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के मूल्य में कमी करने का विचार है ;

(ख) गन्ने का मूल्य निश्चित करने में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना होता है; तथा

(ग) वर्ष १९५१-५२ में मैसूर शुगर कम्पनी द्वारा गन्ना-उत्पादकों को गन्ने का क्या मूल्य दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां।

(ख) गन्ने का मूल्य निश्चित करने में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :—

(१) गन्ने की खेती का अनुमानित परिव्यय,

(२) गन्ना-उत्पादक को गन्ने से गुड़ बनवाये जाने की दशा में होने वाली अनुमानित आय,

(३) गन्ना-उत्पादक को गन्ने की बजाय कोई अन्य फसल उगाने की दशा में होने वाली अनुमानित आय ।

(ग) १५ जुलाई, १९५२ तक ४७ रुपये १० आने प्रति टन ।

श्री शिवनंजप्पा: गन्ने की १९५२-५३ के लिये क्या कीमत निश्चित की गई है और वह किस महीने से लागू हो जायेगी ?

श्री करमरकर: मैं समझता हूं अभी हम निश्चित कर रहे हैं ।

श्री शिवनंजप्पा: क्या सरकार को पता ह कि खेती पर लागत, खाद तथा परिवहन व्यय सहित, पहले जितनी ही रही है ?

श्री करमरकर: इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री शिवनंजप्पा: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मडिया में गन्ना उगाने का मौसम जून में शुरू हुआ है और यहां के किसानों को यह पता नहीं है कि उन्हें गन्ने का क्या मूल्य मिलेगा, क्या सरकार १९५१-५२ की दरों को ही चलने देने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर: बीजों का बोआ जाना तो मार्च के आसपास समाप्त हो गया था ।

श्री केलप्पन: क्या सरकार किसानों को कोई 'न्यूनतम मूल्य' देने की गारंटी देती है ?

श्री करमरकर: मैं समझता हूं सामान्यत: देती है । मूल्य निर्धारण इस अभिप्राय से किया जाता है कि उत्पादकों को 'न्यूनतम मूल्य ' मिल सके ।

श्री नम्बियार: क्या भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि गन्ना-

उत्पादकों को गन्ने का मूल्य एक ही दफे न दे कर दो किस्तों में दिया जाया करे ? क्या मूल्य के दो किस्तों में दिये जाने के विरुद्ध मद्रास राज्य ने कोई अभ्यावेदन किया है ?

श्री करमरकर : मुझे किसी अभ्यावेदन का पता नहीं है। परन्तु मैं मालूम करूंगा।

श्री सारंगधर दास : क्या मडिया में भी उतना ही मूल्य दिया जाता है जितना कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ?

श्री करमरकर : इस समय तो मैं यही कह सकता हूं कि मूल्यों में अन्तर है, परन्तु मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

श्री नेवटिया : क्या माननीय उपमंत्री सदन को यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चीनी के कारखानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित गन्ने की कीमत की तुलना में गन्ने का गुड़ बना कर वसूल की जाने वाली कीमत कितनी है ?

श्री करमरकर : इसके लिये तो बहुत हिसाब फैलाना पड़ेगा, श्रीमान्।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि शुगर-केन (गन्ने) की कीमत में कमी होगी तो क्या चीनी के भाव में भी रद्दोबदल होगा ?

श्री करमरकर : जी हां, शुगर-केन की कीमत कम हो जाये तो शुगर (चीनी) की कीमत कम हो जायेगी।

चमरजा नगर—सत्यमंगला रेलवे लिंक

*२११२. **श्री शिवनंजप्पा :** (क) **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में दक्षिण रेलवे प्रस्तावित चमरजा नगर सत्यमंगला रेलवे लिंक के निर्माण का कार्य आरम्भ करेगी ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'ना' में हो, तो सरकार का विचार कब काम आरम्भ करने का है और उसके कितने समय में पूरे हो जाने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय परिवहन बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि योजना का काम १९५४-५५ और १९५५-५६ में किया जाय। सरकार इस समय यह बतलाने की स्थिति में नहीं है कि उक्त लाइन कब तक बन कर तैयार हो जायगी, क्योंकि इसका निर्माण तो इस बात पर निर्भर है कि वर्ष प्रति वर्ष इस के लिये कितना धन उपलब्ध होता है।

श्री शिवनंजप्पा : क्या कोई प्रारम्भिक परिमाप कर लिया गया है।

श्री एल० बी० शास्त्री : हां, परिमाप किया गया है।

श्री मादिया गौडा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस योजना पर कोई ४ करोड़ ६५ लाख रुपये व्यय होंगे।

श्री मादिया गौड़ा : क्या यह सच है कि इस कार्य को आरम्भ करने और इसके महत्व को देखते हुए इसे उच्च प्राथमिता देने के लिये दक्षिण भारत के लोगों द्वारा अनेक अभ्यावेदन किये गये थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम इस योजना को अग्रस्थान दे रहे हैं; परन्तु हम इसे १९५४-५५ से पहले हाथ में नहीं ले सकते।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस लाइन के निर्माण का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ न करने के ठीक ठीक कारण क्या हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कारण तो मैं बतला चुका हूं। कार्यक्रम के अनुसार हम ने इस योजना को १९५४-५५ में हाथ में लेने का निश्चय किया है – उससे पहले हम यह कार्य आरम्भ नहीं कर सकते।

श्री टी० एस० ए० चेटटियार : क्या सरकार को पता है कि मैसूर विधान-मंडल ने एक संकल्प पारित किया है जिस में इस योजना को जल्दी कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : किया होगा मुझे पता नहीं है।

भीड़ भाड़

*२११३. **श्री बी० एल० तुडु :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५१-५२ में किसी यात्री द्वारा रेलों में अधिक भीड़ भाड़ होने के सम्बन्ध में रेल विभाग के विरुद्ध मामला चलाया गया।

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो

(१) कितने मामले चलाये गये; तथा

(२) उन मामलों में क्या निर्णय हुए ; तथा

(ग) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों में, विशेष रूप से तीसरे दर्जे के डिब्बों में, भीड़ कम करने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जितने भी शीघ्र सम्भव हो सके, रेल के नये डिब्बे तथा इंजन प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। लाइनों पर अतिरिक्त डिब्बों का प्रयोग करने के लिये जो जो काम किये गये उन का पूर्ण विवरण फरवरी, १९५२ में अन्तरिम आयव्ययक पत्रों के साथ निर्गमित श्वेत-पत्र में पृष्ठ ६–९ पर "**पुनरुद्धार का आयोजन**" शीर्ष के अन्तर्गत और पृष्ठ ५६-५७ पर "**रेल के डिब्बे तथा इंजन**" शीर्ष के अन्तर्गत किया गया है।

महानदी पर पुल

*२११४. **श्री जांगड़े :** यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार महानदी के ऊपर हीराकुड बांध के पास वाले और अरंग के पास वाले दो पुलों के अतिरिक्त कोई और पुल बनाने का विचार कर रही है या बनवा रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस समय तो नहीं। हां, कुछ समय में राष्ट्रीय राजपथ योजना के अन्तर्गत कटक के समीप महानदी के ऊपर एक और पुल बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री जांगड़े : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केन्द्रीय सरकार के बीच में सांरगगढ़ और रायगढ़ के बीच महानदी पर पुल निर्माण करने का विचार किया जा रहा है, जैसा कि यातायात मंत्रालय की रिपोर्ट में दिया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, यह ठीक है। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री जांगड़े : क्या मैं यह जान सकता हूं कि महानदी पर सांरगगढ़ और रायगढ़ के बीच जो पुल बनाने का विचार किया जा रहा है, उसके कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस समय तो इस का बतलाना कठिन है। जैसा मैं ने कहा इस विषय पर विचार किया जा रहा है; इसलिये विचार हो जाने के बाद ही यह बतलाया जा सकेगा कि वह कब तक बनेगा।

श्री जांगड़े : क्या मैं यह जान सकता हूं कि महानदी पर आरन के पास जो पुल बनाया जा रहा है उस पर अब तक कितना खर्च हुआ है और वह पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह तो नहीं मालूम कि अब तक कितना खर्च हो चुका है, लेकिन कुल खर्च २२ लाख रुपया उस पर खर्च होगा। अब तक एक तिहाई काम पूरा हो चुका है।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कटक के निकट महानदी के पुल के कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं पहले ही कह चुका हूं कि योजना अभी विचाराधीन है। अतएव यह कहना कठिन है कि काम कब शुरू होगा।

पंडित लिंगराज मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना पर कितना खर्च होगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम ने अभी इसका अनुमान नहीं लगाया है।

रेलों में पहला दर्जा समाप्त किया जाना

*२११६. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में पहला दर्जा समाप्त किये जाने से सरकार को कितनी बचत होने की आशा है ;

(ख) बाद में दर्जों के क्या क्या नाम होंगे ; तथा

(ग) अनुमानित बचत किन शीर्षों पर व्यय की जायेगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ग). पहले दर्जे के समाप्त किये जाने के वित्तीय परिणामों पर अभी विचार किया जा रहा है; अभी बचत के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) सिवाय इसके कि पहला दर्जा समाप्त हो जायेगा, वर्तमान दर्जों के नाम में कोई और परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

पंडित लिंगराज मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि पहले दर्जे के समाप्त किये जाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं समझता हूं ब्रांच लाइनों में तो पहला दर्जा अगले छै महीनों में समाप्त कर दिया जायेगा।

डा० पी० एस० देशमुख : पहले दर्जे के समाप्त हो जाने पर मंत्रालय पर्यटकों की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का विचार रखता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : वे दूसरे दर्जे में सफ़र कर सकते हैं और यदि चाहें तो 'एयरकन्डीशन्ड' डिब्बों का उपयोग कर सकते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : यदि दरजों में फेर बदल की जायेगी तो क्या सब से ऊंचा दर्जा "दूसरा दर्जा" ही बना रहेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस पर हम बाद में विचार कर के कोई विनिश्चय करेंगे।

श्री एम० खुदा बख्श : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार पहले दर्जे को समाप्त करने का विचार कर रही है, क्या 'एयरकन्डीशन्ड' डिब्बों के किरायों में कमी करने की भी कोई प्रस्थापना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : किरायों में कोई बृद्धि नहीं होगी।

श्री पटेरिया : जब सरकार फर्स्ट क्लास तोड़ रही है तो क्या सैकिंड क्लास के डिब्बों की तादाद बढ़ाई जायेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : वह तो अपने आप बढ़ जायेंगे क्योंकि जो डिब्बे फर्स्ट क्लास के हैं वे सैकिंड क्लास के हो जायेंगे।

श्री एम० खुदा बख्श : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 'एयरकन्डीशन्ड' डिब्बों के किरायों में कोई कमी करने का विचार है।

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार सब लाइनों तथा सब गाड़ियों में 'एयर-कन्डीशन्ड' डिब्बे लगाने का विचार कर रही है?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह कहना तो कठिन है, परन्तु हम 'एयरकन्डीशन्ड' डिब्बों का निर्माण कर रहे हैं और जितने अधिक सम्भव हो सकेंगे, लगायेंगे।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की नीति यह है कि तीसरे दर्जे को छोड़ कर शेष सब दर्जे समाप्त कर दिये जायें और क्या मेरा यह समझना ठीक है कि यह उस दिशा में पहला कदम है?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह तो ठीक है कि यह विनिश्चय नीति के आधार पर किया गया है। पहले दर्जे का समाप्त किया जाना उस दिशा में पहला कदम है। परन्तु मेरा सिद्धांत यह है कि बोला कम जाये और काम अधिक किया जाय, क्योंकि मैं इस मामले को बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। सब दर्जों को समाप्त करने का प्रश्न सदन में उठाया गया था और मैं इस पर विचार भी कर रहा हूं, परन्तु यह कहना कठिन है कि हम इस मामले के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई विनिश्चय कर सकेंगे।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की इस नीति का भविष्य में कितना विस्तार होगा?

श्री एल० बी० शास्त्री : माननीय सदस्य को प्रतीक्षा करनी होगी।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि 'एयरकन्डीशन्ड' डिब्बे तथा पहले दर्जे के डिब्बे के निर्माण की तुलनात्मक लागत कितनी है?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री सारंगधर दास : क्या "नैरो गेज" (सकड़ी लाइन) और "मीटर गैज" (छोटी लाइन) पर भी 'एयरकन्डीशन्ड' डिब्बे चलाने का विचार है?

श्री एल० बी० शास्त्री : पहले हम ब्रौड गेज (बड़ी लाइन) पर तो शुरू कर दें; मीटर गेज (छोटी लाइन) और नैरो गेज (सकड़ी लाइन) पर बाद में देखा जायेगा।

श्री पोकर साहेब : क्या पहले दर्जे के समाप्त कर दिये जाने के बाद सब से अधिक किराया वर्तमान दूसरे दर्जे के किराये के बराबर होगा?

श्री एल० बी० शास्त्री : निस्सन्देह, किन्तु 'एयरकन्डीशन्ड' डिब्बों का किराया अधिक होगा।

श्री रघवय्या : क्या पहले दर्जे के समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप तीसरे दर्जे के यात्रियों को, किराये में वृद्धि हुए बिना अधिक सुविधायें प्राप्त होंगी?

श्री एल० बी० शास्त्री : निश्चय ही।

डा० एन० बी० खरे : क्या यह कार्यवाही एक वर्गहीन समाज की रचना करने की दिशा में एक कदम है?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

टेलीफ़ोन एक्सचेंज

*२११७. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना, हज़ारीबाग़ तथा गिरीध में स्वयं गतिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; तथा

(ग) क्या ज़िला हज़ारीबाग़ के गिरीध स्थान में लोगों को टेलीफोन के कनैक्शन बे रोक टोक दिये जा रहे हैं या उन पर कोई प्रतिबन्ध हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) पटना में एक स्वयं गतिक टेलीफो: एक्सचेंज स्थापित करने की प्रस्थापना तो है; परन्तु जहां तक हज़ारीबाग और गिरीध का सम्बन्ध है, ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) यह आशा की जाती है कि पटना में स्वयं गतिक टेलीफोन एक्सचेन्ज सन् १९५५ तक बन जायेगा ।

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीफोन के तारों की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन सब लोगों को कनैक्शन देना सम्भव नहीं हो सका है जिनके नाम 'प्रतीक्षा सूची' पर हैं। इस वित्तीय वर्ष में एक्सचेंज का विस्तार करने और 'प्रतीक्षा सूची' में उल्लिखित व्यक्तियों को कनैक्शन देने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : भाग (ग) के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए, मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि गिरीध में टेलीफोन लगवाने वालों से अपने तार और उपकरण देने के लिये कहा जाता है ?

श्री राज बहादुर : मुझे पता नहीं ।

समाचार पत्र सम्बन्धी विधियां

*२११८. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५१ तथा १९५२ में दिल्ली के कितने और किन समाचार पत्रों को समाचारपत्र सम्बन्धी विधियों का उल्लंघन करने और आपत्तिजनक बातें प्रकाशित करने पर चेतावनी दी गई; तथा

(ख) कितने तथा किन मुद्रकों तथा प्रकाशकों को उक्त उल्लंघन के दोषी ठहराया गया ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस में इस विषय से सम्बन्धित जानकारी दी हुई है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २०**]

श्री एन० पी० सिन्हा : विवरण से पता चलता है कि कोई ११ समाचारपत्रों को समाचार पत्र सम्बन्धी विधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करने और कोई ४ को आपत्तिजनक बातें प्रकाशित करने पर चेतावनी दी गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि इस चेतावनी पर अमल कब होगा—दूसरे शब्दों में, उन पर मुकदमे क्यों नहीं चलाये गये ?

डा० काटजू : मुझे पूर्वसूचना चाहिये । फिलहाल चेतावनी ही काफी समझी गई होगी ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक समझे जाने वाले तथा अश्लीलता की दृष्टि से आपत्तिजनक समझे जाने वाले मामलों को अलग अलग किस आधार पर जाना जा सकता है ?

डा० काटजू : आपत्तिजनक विषय तो आपत्तिजनक ही रहेगा । इस की परिभाषा करना तो अत्यन्त कठिन है ।

श्री वेलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री समाचार पत्र सम्बन्धी अधिनियम (प्रेस एक्ट) के पारित हो जाने के पश्चात् ऐसे मामलों की सूची दे सकेंगे जिन में चेतावनी दी गई हो या अभियोग चलाये गये हों ?

डा० काटजू : मैंने जो जानकारी दी है वह १ जनवरी, १९५१ से ३० जून, १९५२ तक की है। अब इस के बारे में ये और बातें मैं नहीं बता सकता ।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार ने दंड विधान के अन्तर्गत किसी समाचारपत्र या पत्रिका पर झूठी अफवाहें फैलाने के आरोप में, अभियोग चलाया है ?

डा० काटजू : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

बाबू रामनारायण सिंह : अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि आब्जैक्शनेबल मैटर (आपत्तिजनक विषय) की व्याख्या करना कठिन है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी हालत में किस के पास जाया जाय जहां इस की व्याख्या हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

प्रशिक्षन भत्ता

*२११९. **श्री के० के० बसु** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में डाक तथा तार विभाग में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण भत्ता दिया गया;

(ख) ऐसा भत्ता कुल कितना दिया गया; तथा

(ग) क्या उक्त विशिष्ट प्रशिक्षण देने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को नौकरियां दे दी होती हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) क्योंकि ऐसे सब व्यक्तियों को जो डाक तथा तार विभाग में सीधे ही भर्ती किये जायें--जिन में डाक तथा तार विभागों के क्लर्क, सौर्टर, इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र, लाइनमैन, रिपीटर स्टेशन एसिटैंट आदी शामिल हैं--, विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है, अतः प्रशिक्षणार्थियों की ठीक ठीक संख्या तथा उक्त भत्ते की राशि का हिसाब फैलाना बहुत कठिन है ।

(ग) विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सब प्रशिक्षणार्थियों को, यदि वे परीक्षा में उपयुक्त सिद्ध हों, विभाग में सेवायुक्त कर लिया जाता है । साधारणतः ऐसे व्यक्तियों की संख्या नगण्य होती है जिन को नौकरियां नहीं दी जातीं ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को पता है कि जदरपुर इंस्टीट्यूट के बहुत से स्नातकों को, जिन्हों ने बिजली तथा टेलीफोन के काम में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया था, दो वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात् भी विभाग में सेवायुक्त नहीं किया ?

श्री राज बहादुर : हम नें प्रशिक्षण नहीं दिया ।

श्री के० के० बसु : उन्हों ने इस इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वे परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुये थे; और फिर भी उन्हें सेवायुक्त नहीं किया गया ।

श्री राज बहादुर : मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

श्री के० के० बसु : यदि सरकार को ऐसे मामले बतलाये जायें, तो क्या वह उन पर ध्यान देगी ?

श्री राज बहादुर : निस्सन्देह, विचारणीय मामलों पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री आर० के० चौधरी : यदि टेलीफोन लाइन खराब हो जाये तो क्या जनता को बेतार के तार का उपयोग करने दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है, श्रीमान् ?

श्री आर० के० चौधरी : मैं उत्तर नहीं सुन सका ।

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

खाद्य प्रचार

*२१२०. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१ तथा १९५२ में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के प्रचार पर कितना धन व्यय किया गया;

(ख) अब तक उस के क्या परिणाम निकले हैं; तथा

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अधिक प्रचार करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) --

वर्ष	राशि जो व्यय की गई
	रुपये
१९४९-५०	३,७२०
१९५०-५१	६६,२३९
१९५१-५२	४२,४७६

(ख) यह अनुमान लगाना तो कठिन है कि इस का कितना असर हुआ; परन्तु यह बात तो जरूर है कि समाचारपत्रों, रेडियो, फिल्मों, पैम्फलैटों, पोस्टरों आदि के ज़रिये जो देश व्यापी प्रचार किया गया उस से लोगों को खाद्य स्थिति को तथा इस कठिनाई का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों को समझने में सहायता मिली ।

इस से कृषि सम्बन्धी जानकारी को फैलाने में भी सहायता मिली है ।

(ग) जी हां । किसानों के साथ और अधिक सम्पर्क स्थापित करने के प्रयत्नों में वृद्धि करने की एक प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा : सरकार ने इस बात के लिए क्या प्रयत्न किये हैं कि इस प्रचार का ग्रामीण जनता पर समुचित प्रभाव पड़े ।

श्री करमरकर : मैं ने अभी जो साधन बतलाये हैं उन के द्वारा हम ने इस बात का प्रयत्न किया है कि सब बातें किसानों तक पहुंच सकें । जैसा कि मैं ने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बतलाया हमारे, प्रयत्नों में अधिक उग्रता आने की आवश्यकता है और इसी प्रयोजनार्थ हम एक प्रस्थापना पर विचार कर रहे हैं ।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा : क्या इस आन्दोलन को सहायता देने के लिये कोई फिल्म भी बनाये गये हैं ?

श्री करमरकर : दो फिल्म बनाये गये हैं, श्रीमान् ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इन लीफ़लैट्स (इश्तहारों) पैम्फ्लैट्स और अखबारों से अशिक्षित जनता पर कैसे असर पड़ता है ?

श्री करमरकर: जो पढ़े लिखे हैं वे अशिक्षित जनता में प्रसार करते हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या जनता के सब वर्गों के लिये एक सा ही प्रचार किया जाता है या स्कूल, कालिज, तथा विश्वविद्यालय

जैसी संस्थाओं, किसानों और ग्रामनिवासियों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचार किये जाते हैं ?

श्री करमरकर : जैसा कि आयव्ययक में उपबन्धित राशि से स्पष्ट है, उस मदविशेष के अन्तर्गत इस समय जो प्रचार किया जा रहा है वह इतना उग्र नहीं है जितना कि मेरे माननीय मित्र चाहते हैं। जैसे जैसे अधिक धन उपलब्ध होता जायेगा वैसे वैसे हम इस कार्य को अधिक ज़ोर के साथ करने तथा इसे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयत्न करते जायेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह प्रचार भारत की लगभग सभी भाषाओं में किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : मेरे पास जो जानकारी है उस के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि पैम्फलैट्स तो मुख्य रूप से हिन्दी में छापे जा रहे हैं। हां पोस्टरों के विषय में मुझे पता नहीं है। सम्भवतः विज्ञापन भिन्न भिन्न भाषा में ही हो रहा होगा ; परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या यह प्रचार प्रायः सामान्य ढंग से किया जाता है या इस में कृषकों को कुछ ठोस सुझाव भी दिये जाते हैं ताकि वे उत्पादन में वृद्धि कर सकें ?

श्री करमरकर : जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते ही होंगे, खेती के विशेष तरीकों आदि के सम्बन्ध में ठोस सुझाव तो अधिकतर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा दिये जाते हैं। उन के द्वारा विशेष पुस्तिकायें निकाली जाती हैं जो सारे सम्बन्धित लोगों को उपलब्ध होती हैं।

यह अमुक कार्य राज्यों द्वारा किया जा रहा है और सामान्य जनता के लिये अभिप्रेत है। हम तो केवल राज्य द्वारा किये गये

494 PSD.

कार्यों में ताल मेल पैदा करते हैं और उन्हें सहायता देते हैं। वैसे यह कार्य मुख्य रूप से राज्यों का ही है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ये निदेश दिये हैं कि वे ऐसी भूमि को अपने अधिकार में ले लें जो भूस्वामियों तथा जमींदारों ने बिना जुती छोड़ दी हो।

श्री करमरकर : हम ने अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार करने पर कितनी राशि व्यय की जाती है ?

श्री करमरकर : मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं। जो बातें मुझे पता थीं वे मैं ने बतला दीं।

गेहूं के मूल्य

*२१२१. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका से लिये गये ऋण के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रचलित वर्तमान मूल्य से अधिक है; तथा

(ख) यदि अधिक है, तो क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका से दर का पुनरीक्षण करने के लिये कहा है, तथा यदि कहा है, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं। यह गेहूं समय समय पर संयुक्त राज्य अमरीका में प्रचलित मूल्य पर खरीदा गया था।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा प्रश्न उस गेहूं के सम्बन्ध में था जो हम ने ऋण के अन्तर्गत

खरीदा था, उस गेहूं से नहीं जो समय समय पर खरीदा गया ।

श्री करमपकर : वह तो संयुक्त राज्य अमरीका के खुले बाज़ार से खरीदा गया था और कीमत उस समय वहां जो दर थी उसी के अनुसार दी गई थी ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि गेहूं का वर्तमान दर कितना है और वह दर जिस पर वह खरीदा गया था कितना था ?

श्री करमरकर : मैं ने पहले कहा था कि मूल्य प्रकट करना सम्भव नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : जो मूल्य दिया गया क्या वह प्रचलित मूल्य से अधिक था ?

श्री करमरकर : इस समय मैं कुछ नहीं बतला सकता ।

भूपत

*२१२२. **श्री दाभी** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सौराष्ट्र का नामी डाकू भूपत भाग कर सिंध चला गया है और वहां कराची में पाकिस्तानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में है, तो क्या सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि भूपत सौराष्ट्र सरकार को सौंप दिया जाये ताकि सौराष्ट्र के किसी न्यायालय में उस पर अभियोग चलाया जा सके ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री दाभी : क्या दोनों देशों के बीच व्यक्तियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी कोई परस्पर व्यवस्था विद्यमान है ?

डा० काटजू : इस समय तो कोई नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच संदिग्ध अभियुक्तों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी कोई अन्य मामले भी हुए हैं?

डा० काटजू : मेरे ज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार ने उन आरोपों के सम्बन्ध में कोई जांच की है जो सदन में भी लगाये गये थे, अर्थात् भूपत के भाग जाने में सौराष्ट्र के कुछ प्रमुख व्यक्तियों का भी सम्बन्ध था ?

डा० काटजू : मूल प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे डाकुओं की कुल संख्या क्या है । जिन्हों ने भारत से भाग कर पाकिस्तान में शरण ली है ?

डा० काटजू : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है ।

जनाब अमजद अली : क्या अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय भी यही है कि श्री मुखर्जी का प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ?

अध्यक्ष महोदय : मान लीजिये मैं यह कह भी दूं कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उस दशा में मंत्री महोदय का उत्तर यह होगा कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि यह मामला राज्य सरकार के सम्बन्ध में है ।

कलकत्ता-नागपुर रेलवे लाइन

*२१२३. **श्री जसानी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कलकत्ता-नागपुर रेल लाइन को भंडारा टाउन हो कर ले जाने के लिये कोई परिमाप किया गया था; तथा

(ख) यदि किया गया था तो, उस सम्बन्ध में अब तक कितना काम हो चुका है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) रेल लाइन को उधर हो कर ले जाने के लिये परिमाप सन् १९४७ में किया गया था।

(ख) रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया गया कि इस लाइन को उधर हो कर ले जाना ठीक नहीं होगा।

श्री जसानी : क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि भंडारा टाऊन भंडारा जिले की कचहरी और अदालत का मुख्य स्थान है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, इस बात की सरकार को जानकारी है।

श्री जसानी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मौजूदा भंडारा टाउन भंडारा रेलवे स्टेशन से सात मील की दूरी पर है और यात्रियों को वहां तक पहुंचने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, यह वाकया है कि भंडारा शहर स्टेशन से करीब साढ़े सात मील के फासले पर है, लेकिन वहां तक काफी अच्छी सड़क बनी हुई है और बस सर्विस भी है, इसलिये ऐसे डाइवर्जन के बनाने का सरकार का विचार नहीं है।

मुख्य ग्राम केन्द्र

*२१२४. **सेठ अचल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य ग्राम केन्द्र कितने स्थापित किये गये हैं; और कहां कहां; तथा

(ख) गाय बैलों के जीवन तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक रोगों की रोक-थाम करने और उन्हें समाप्त करने के लिये और ढोरों की नस्ल सुधारने के लिए केन्द्रीय गौसंवर्धन परिषद् द्वारा १९५० से ले कर १९५२ तक के वर्षों में, क्या पग उठाये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) अब तक भारत सरकार ने ९२ मुख्य ग्राम केन्द्र के स्थापित किये जाने की मंजूरी दी है। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में इन केन्द्रों की राज्य-वार संख्या बतलाई गई है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २१**]

(ख) अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; क्योंकि परिषद् की रचना अभी हाल ही में हुई है।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने "की विलेज सैन्टर्स" खोले गये हैं ?

श्री करमरकर : मैं ने सदन पटल पर विवरण रख दिया है ; उत्तर प्रदेश में २१ हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गौसंवर्धन कौंसिल ने अब तक अपने काम के बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है ?

श्री करमरकर : जी हां, मैं ने कहा था कि गौसंवर्धन कौंसिल की कार्यवाही अभी अभी शुरू हो गई है। पहली बैठक ७ मई, १९५२ को ही कर चुकी है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जितने केन्द्रों की मंजूरी दी गई है उनमें से कितने खोले जा चुके हैं ?

श्री करमरकर : ९२ मंजूरशुदा केन्द्रों में से ८० खोले जा चुके हैं — किन्तु हो सकता है कि इस आंकड़े में कोई गलती हो।

श्री जांगड़े : गौसंवर्धन के लिये जो केन्द्र खोले जा रहे हैं, उनमें इस वर्ष कितना रुपया व्यय होने का अनुमान किया गया है ?

श्री करमरकर : उसका बजट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे स्मरण है कि पहले सवाल के जवाब में मैंने उसके डिटेल्स (विवरण) दिये थे। अगर मैंने न दिये हों, तो मैं उसको देने को तैयार हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं जान सकता हूं कि इन आठ केन्द्रों में कितने ढोर हैं ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये। हां, इतना कहा जा सकता है कि यह कार्यवाही तो उस योजना के प्रथम चरण स्वरूप है जिसके अन्तर्गत आने वाले दो वर्षों में कोई ६०० केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। वास्तविक योजना तो वर्ष १९५२-५३ में चालू होगी। हमारा विचार यह है कि शनैः शनैः ६०० केन्द्र स्थापित किये जायें और एक अमुक क्षेत्र में कोई ५०० गायों के लिये लगभग ६ सांड रखे जायें।

मैं अपने माननीय मित्र को यक़ीन दिला सकता हूं कि जो कुछ भी कार्य किया गया है उसका स्वागत हुआ है।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि क्या गौसंवर्धन कार्यक्रम का समावेश पंचवर्षीय योजना में है, तथा यदि है, तो उसमें उसके लिये कितना रुपया रखा गया है ?

श्री करमरकर : जी हां, यह कार्यक्रम उसमें शामिल है। परन्तु इस प्रश्न के लिये कि उसके लिये कितना रुपया रखा गया है, मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

सहरसा के लिये टेलीफ़ोन कनैक्शन

*२१२५. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के एक सब-डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स, सहरसा, को टेलीफोन कनैक्शन देने की कोई प्रस्थापना है; तथा

(ख) यदि है, तो यह प्रस्थापना इस समय किस अवस्था पर है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां।

(ख) प्रस्थापना विचाराधीन है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि टेलीफोन कनैक्शन कब तक मिल जायेगा।

श्री राज बहादुर : वैसे तो हम ने चालू वर्ष के आयव्ययक में इस के लिये व्यवस्था की है, परन्तु वास्तव में यह कार्य किसी असरकारी सूत्र या बिहार सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी जाने पर निर्भर है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार के किन किन नये स्थानों को टेलीफोन कनैक्शन दिये जाने वाले हैं तथा उनके कब तक दिये जाने की आशा है ?

श्री राज बहादुर : इस समय यह कहना सम्भव नहीं है।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विंध्य प्रदेश के सीकरी जिले में तार के साधन नहीं हैं, इस पर कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न में तो एक निश्चित स्थान के लिये कहा गया था। सारे देश के फिगर्स (आंकड़े) मेरे पास नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघ

*२१२६. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघों को अपनी शिकायतें संसद के सदस्यों तक पहुंचाने के लिये बैठकें करने की आज्ञा नहीं है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इस सम्बन्ध में चालू प्रथा तथा निदेश यह है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा शिकायतें–चाहे वे व्यक्तिगत रूप से की जायें या सामूहिक रूप से, मुंहजबानी की जायें या लिख कर –– अभिज्ञात शासकीय सूत्रों के द्वारा ही की जानी चाहियें। किसी अन्य साधन या मध्यस्थ का सहारा लेना इस आधार पर आपत्तिजनक समझा जाता है कि इसका अनुशासन के बनाये रखने पर तथा सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार की इच्छा यह है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली ऐसी बैठकें जिन के द्वारा वे अपनी शिकायतें संसद के विभिन्न दलों के सदस्यों तक पहुंचायें, दंडनीय समझी जानी चाहियें ?

डा० काटजू : दंडनीय समझी जाने का तो यहां कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि बैठकों का उद्देश्य केवल मात्र यह हो कि संसद् के सदस्यों को किसी अमुक सेवा की दशाओं से अवगत कराया जा सके, तब तो ऐसी बैठकों से कोई हानि नहीं है। परन्तु––मैं समझता हूं सदन भी मुझ से सहमत होगा –– यदि विधान मंडल के किसी सदस्य पर इस उद्देश्य से पहुंच की जाये कि उसके जरिये सरकार पर या किसी मंत्री पर किसी प्रयोजनार्थ दबाव डलवाया जा सके, तो यह अनुशासन बनाये रखने में बाधक होगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को ज्ञात है कि १ मई, १९५२ को पश्चिमी बंगाल के आयकर आयुक्त ने बंगाल आयकर संघ को, जो कि पश्चिमी बंगाल के आयकर कर्मचारियों का एक अभिज्ञात संघ है, यह धमकी दी कि राजस्व बोर्ड द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी क्योंकि उन्होंने एक खुली बैठक में, जहां कि उन्होंने संसद् के भिन्न भिन्न दलों से सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों को बधाई दी थी, अपनी शिकायतें पेश कीं ?

डा० काटजू : यह विषय तो वित्त मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है। परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है, यह कोई उतनी हानि रहित बैठक नहीं थी जितनी कि मेरे माननीय मित्र बतला रहे हैं। उस में बहुत सी अवांछनीय बातें कही गई थीं और अनेक आपत्तिजनक भाषण दिये गये थे। अतएव, यह सम्भव है कि आयकर आयुक्त ने ऐसी कोई कार्यवाही की हो जो उन्होंने उपयुक्त समझी। यदि किसी विशेष कर्मचारी संघ के सदस्य ऐसी कार्यवाही करते हैं जो अनुशासन के प्रतिकूल तथा नियम-विरुद्ध हो, तो उस दशा में ऐसे संघों का अभिज्ञान समाप्त किया जा सकता है।

डा० एन० बी० खरे उठे ––

अध्यक्ष महोदय : उन माननीय सदस्यों को अपना प्रश्न समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को पता है कि जिस दिन यह बैठक हुई थी वहां विरोधी दल के एक सदस्य को छोड़ कर कोई छै कांग्रेसी संसद सदस्य मौजूद थे, तथा क्या सरकार को पता है कि .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अब हम विस्तार में पड़ते जा रहे हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा, श्रीमान्। क्या सरकार को यह भी पता है कि जिस दिन आयकर आयुक्त ने एक पत्र लिख कर यह धमकी दी थी कि कर्मचारी संघ के विरुद्ध राजस्व बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जायेगी, उसी दिन संघ के सहायक मंत्री को नौकरी से अलग कर दिया गया, यद्यपि उसकी सात वर्ष की नौकरी थी, और उसको नौकरी से निकाले जाने के कोई कारण भी नहीं बतलाये गये ?

डा० काटजू : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : माननीय मत्री ने इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि सरकार इस प्रथा को प्रोत्साहन देना चाहती है कि शिकायतें अभिज्ञात सूत्रों के द्वारा ही की जायें। तो इस प्रसंग में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उन मामलों का ज्ञान है जिनमें कुछ मंत्रालयों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिक संघों का अभिज्ञान नहीं किया गया, यद्यपि वे दो वर्ष से भी अधिक समय से इसके लिये प्रयत्नशील हैं, और ऐसे संघों के संगठनकर्ताओं को, सम्बन्धित मंत्री के जानते-बूझते, नुकसान पहुंचाया गया।

डा० काटजू : मुझे ऐसा कोई मामला पता नहीं है, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है यदि उसमें कुछ भी सचाई हुई, तो मुझे इसका बहुत खेद होगा।

श्री गाडगिल : मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उन्हें यह भी पता है कि किरकी की आर्डनेंस फ़ैक्टरी के साइन्टिफिक एसिस्टैन्टों के संघ के सभापति को इसलिये मुअत्तिल कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने संघ के सभापति की हैसियत से मुझे पत्र लिख दिया था ?

डा० काटजू : मुझे पता नहीं है।

मलेरिया

*२१२७. **श्री वी० मिस्सिर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) पिछले बर्ष मलेरिया से हुई मृत्युओं की संख्या ;

(ख) भारत के वे भाग, जहां मलेरिया का अत्यधिक प्रकोप रहता है, और उसके कारण; तथा

(ग) अब तक भारत को विश्व स्वास्थ्य संस्था से क्या क्या लाभ हुए हैं और विशेषतः मलेरिया को रोकने के लिये उस संघ से धन, परामर्श या औषधियों के रूप में कोई सहायता मिली है या नहीं, और यदि मिली है, तो किस रूप में ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) पिछले वर्ष मलेरिया से हुई मृत्युओं सम्बन्धी आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं।

(ख) तथा (ग). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २२**]

श्री वी० पी० नायर : क्या विश्व स्वास्थ्य संस्था ने हमें मानसिक रोगों की चिकित्सा में मलेरिया के कीटाणुओं के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में भी कोई सहायता दी है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। परन्तु जहां तक भारत से मलेरिया समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा दी गई सहायता का प्रश्न है, माननीय सदस्य को सदन पटल पर रखे गये विवरण से पूरा हाल ज्ञात हो जायेगा और यह भी पता लग जायेगा कि हमने, विश्व स्वास्थ्य संस्था तथा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से, भारत के कुछ एक भागों से मलेरिया खत्म कर दिया है।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या यहां कोई मलेरिया क्लिनिक या अनुसन्धानालय हैं, तथा यदि हैं, तो कितने और कहां कहां ?

राजकुमारी अमृत कौर : दिल्ली में एक अखिल भारतीय मलेरिया संस्था (ऑल इण्डिया मलेरिया इंस्टीट्यूट) है।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार को यह पता है कि बाजार में मलेरिया की

विशेष औषधियों के नाम से अनेक नकली दवाइयां बिक रही हैं जो वास्तव में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं; तथा यदि पता है, तो क्या सरकार ऐसी चीजों की बिक्री को रोकने के लिये कोई क़दम उठाने का विचार कर रही है ?

राजकुमारी अमृत कौर: सरकार को यह पता है कि बाजार में अनेक नकली दवायें बेची जाती हैं। यह कहना कठिन है कि मलेरिया की विशेष औषधियां भी नकली बिक रही हैं या नहीं -- शायद बिक ही रही हैं। ड्रग्स एक्ट सभी राज्यों में लागू है। उसके अन्तर्गत, नकली दवाइयों का निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाने की व्यवस्था है।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या मैं जान सकता हूं कि भारत के किन राज्यों में विश्व स्वास्थ्य संस्था के दलों ने मलेरिया निरोधक कार्यवाहियां की हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर: यू० पी०, मैसूर, मद्रास तथा उड़ीसा में।

सरदार हुक्म सिंह: क्या दिल्ली के मलेरिया इंस्टीट्यूट के प्रस्तावित विभाग में 'फिलेरियासिस' सम्बन्धी अनुसन्धान भी किया जायेगा ?

राजकुमारी अमृत कौर: मलेरिया इंस्टीट्यूट में तो 'फिलेरियासिस' के सम्बन्ध में अनुसन्धान नहीं हो रहा है; हां उक्त अनुसन्धान इण्डियन कौंसिल आफ़ मैडिकल रिसर्च (भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्) द्वारा अवश्य किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीनी

***२११५. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मई १९५२ के दूसरे पखवाड़े में चीनी भारत के किन किन स्थानों में नियन्त्रित मूल्य से भी कम दर पर बिकी और तब से कीमतों का रुख कैसा रहा है ?

(ख) इस का गन्ने के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(ग) चालू वर्ष में चीनी के निर्यात की स्थिति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) कानपुर, हापुड़, दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ते के खुले बाजारों में चीनी के नियन्त्रित दर से कम कीमत पर बिकने की खबर मिली थी। हां, जुलाई १९५२ के प्रारम्भ से कीमतों का रुख कुछ बढ़ने का रहा है।

(ख) क्योंकि गन्ने की १९५२-५३ की फसल चीनी के खुले बाजार में नियन्त्रित मूल्य से कम दर पर बिकने के पहले ही बो दी गई थी, इसलिये इस का गन्ने के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) १४-७-५२ तक ७,२८० टन चीनी निर्यात के लिये दी गई है।

हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही

***२१२८. श्री विट्टल राव:** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर १९४८ में निजाम सरकार के विरुद्ध "पुलिस कार्यवाही" करने पर भारत सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ; तथा

(ख) क्या यह धनराशि हैदराबाद सरकार ने भारत सरकार को अदा कर दी है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) यह जानकारी देना लोक-हित में इष्टकर नहीं होगा।

(ख) पुलिस कार्यवाही में व्यय हुई कुल धनराशि का आधा भाग हैदराबाद

सरकार के नाम डाला गया था जो उसने अदा कर दिया है ।

सामूहिक जुर्माना

***२१२९. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के अवंग जीरी, खा जीरी, कैरुओ, लमलई तथा चल्लओ नामक स्थानों से, साम्यवादियों के विरुद्ध कार्यवाहियों के दौरान में, कितना रुपया सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूल किया गया; तथा

(ख) कितना रुपया पुनः लौटा दिया गया ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) अवंग जीरी से १३७० रुपये सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूल किये गये थे । किसी अन्य गांव से कुछ वसूल नहीं किया गया ।

(ख) २२१ रुपये पुनः लौटा दिये गये ।

अन्ध सहायता कार्य

*** २१३०. श्री झूलन सिन्हा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि अन्धों को सहायता देने के कार्यों में संलग्न असरकारी संस्थाओं आदि को क्या आर्थिक सहायता तथा प्रोत्साहन, यदि कोई हो, दिया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : यह तो मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बतलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में अन्धों को सहायता देने के कार्यों में संलग्न संस्थाओं आदि को क्या अनुदान दिये । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २३]**

कृषि गोष्ठियां

***२१३१. श्री मादिया गौडा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने **की** कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में कितनी कृषि गोष्ठियां आयोजित की गईं;

(ख) चालू वर्ष में कितनी कृषि गोष्ठियां आयोजित करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) प्रत्येक गोष्ठी के लिये कितनी धन राशि आवंटित की जाती है; तथा

(घ) क्या इन गोष्ठियों में अपने हाथ से खेती करने वाले लोग भी भाग लेते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) दो।

(ख) चालू वर्ष के गोष्ठियों के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) सामान्यतः कोई व्यय नहीं होता, क्योंकि इन गोष्ठियों में भाग लेने वाले लोग अधिकांश रूप से राज्यों द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति ही होते हैं ।

(घ) जो दो गोष्ठियां हुई हैं वे राज्यों के कृषि-विस्तार सम्बन्धी कार्य करने वालों के लिये थीं । भविष्य में होने वाली कृषि गोष्ठियों में किसानों का भाग लेना इस बात पर निर्भर करेगा कि अमुक गोष्ठी किस प्रयोजन के लिये की जा रही है ।

आलू की खेती

***२१३२. श्री बी० एन० राय : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू की खेती का विकास करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; तथा

(ख) यदि की गई है, तो उक्त कार्यवाहियां क्या हैं तथा उनके परिणाम क्या निकले हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें इस बात का विस्तृत वर्णन है कि क्या क्या कार्यवाहियां की गई और उनके क्या क्या परिणाम निकले। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २४**]

गोदाम

***२१३३. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्न रखने के गोदामों के किराये के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई; तथा

(ख) वर्ष १९५१-५२ में केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्न रखने के गोदामों के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) कुल ८,४२,७२३ रुपये देय हैं जिनमें से ६,६६,१८५ रुपये तो दिये जा चुके हैं और शेष १,७६,५३८ रुपये के सम्बन्ध में अभी दावे प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) कोई गोदाम नहीं बनाये गये। कुछ फालतू सैनिक भवनों को खरीद लिया गया तथा उनकी मरम्मत कर ली गई जिस पर ११,७४,९०० रुपये व्यय हुए।

रेलवे इंजनों के ड्राइवर

***२१३४. श्री मुनिस्वामी :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दक्षिण रेलवे के इंजन ड्राइवरों को यह आदेश दिये गये हैं कि अब उन्हें गाड़ियां एक समय में २०० मील चलानी होंगी, १०० मील नहीं जैसी कि इस समय व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; तथा

(ग) क्या उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख) पहले कोई ऐसी बात नहीं थी कि ड्राइवरों से १०० मील से अधिक चलाने के लिये नहीं कहा जा सकता था। दक्षिण रेलवे के उस भाग पर जो कि पहले साउथ इन्डियन रेलवे था, कुछ लाइनों का पुनरावलोकन कर के, कुछ फेर बदल की गई है जिस से सारी दक्षिण रेलवे व्यवस्था को अधिक एक रूप बनाया जा सके। इस फेर बदल के फलस्वरूप कुछ ड्राइवरों को अब डाक या एक्सप्रैस गाड़ी १०० मील की बजाय लग भग २०० मील चलानी पड़ जाती है।

(ग) ड्राइवरों को अधिक चलने का अतिरिक्त भत्ता अतिरिक्त मीलों के आधार पर दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में चीनी का कारखाना

***२१३५. श्री चाण्डक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चीनी का कारखाना चलाने के बारे में सरकार की कोई योजना है; तथा

(ख) यदि है, तो उस दिशा में सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं और यह योजना इस समय किस अवस्था पर है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) होशंगाबाद जिले की हरदा तहसील में एक चीनी का कारखाना खोलने के लिये राज्य सरकार ने किसी को चुना था जिस पर भारत सरकार ने भी स्वीकृति दे दी थी । अब चूंकि उस ने इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की है, अतः अब, राज्य सरकार के परामर्श से, यह विचार किया जा रहा है कि उसे कारखाना चालू करने की जो अनुमति दी गई थी क्या वह रद्द कर दी जाये ।

सन्तरों के निर्यात के लिये रेल के सी० ए० टाइप के डिब्बे

*२१३६. **श्री चाण्डक :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंट्रल रेलवे पर स्थित कल्मेश्वर, कोहली, काटोल, कालंभा, नरखेड तथा पांढूर्ना की संतरा मंडियों के व्यापारियों और उत्पादकों की ओर से बड़े बड़े शहरों में संतरे भेजने के लिये रेल के सी० ए० टाइप के डिब्बे दिये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला था ;

(ख) सरकार ने इस विषय में क्या पग उठाये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) इन स्थानों के संतरा व्यापारियों तथा उत्पादकों से संतरे भेजने के लिये रेल के सी० ए० टाइप के डिब्बे दिये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

नागपुर और दिल्ली के बीच फलों की विशेष मालगाड़ियां

*२१३७. **श्री चाण्डक :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागपुर और दिल्ली के बीच फलों की विशेष माल गाड़ियां चलाने के बारे में कुछ आवेदन पत्र मिले हैं; तथा

(ख) यदि मिले हैं, तो सरकार ने इस विषय में क्या पग उठाये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) १५ फरवरी से १० मई, १९५२ तक की कालावधि में नागपुर डिवीज़न से संतरे भेजने के लिये केन्द्रीय रेलवे ने, अपनी ही ओर से ६२ स्पेशल गाड़ियां चलाई थीं ।

अमोनिया सल्फ़ेट

*२१३८. **श्री पी० सी० बोस :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक खाद, अमोनिया सल्फेट, के प्रयोग से भूमि कई वर्ष तक के लिये अनुपजाऊ हो जाती है ;

(ख) इस रासायनिक खाद के भूमि पर प्रभाव के बारे में वैज्ञानिकों की अधिकृत राय क्या है; तथा

(ग) क्या सरकार ने किसानों की जानकारी के लिये कोई पैम्फ्लेट या पुस्तिका आदि जारी की है जिस में इस रासायनिक खाद के प्रयोग किये जाने के बारे में पूर्ण विवरण दिया हुआ हो ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी नहीं ।

(ख) हमारे वैज्ञानिक जानकारों द्वारा यह राय प्रगट की गई है कि अमोनियम सल्फेट अन्य प्रकार की अप्रांगार-भूयाति (इनआर्गेनिक नाइट्रोजन) से श्रेष्ठतर है । हां, यदि इस के प्रयोग के साथ साथ समुचित सिंचाई न की जाये और उस के साथ प्रांगार (आर्गेनिक) खादें न मिलाई जायें तो इसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं ।

(ग) राज्य सरकारें किसानों के पथ-प्रदर्शन के लिए प्रादेशिक भाषाओं में पैम्फ्लेट और पुस्तिकायें निकालती हैं जिन में रासायनिक खादों के मट्टी तथा जलवायु की स्थानीय दशाओं तथा उगाई जाने वाली फसल की प्रवृत्ति के अनुसार, प्रयोग किये जाने के बारे में विस्तृत जानकारी होती है ।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लोग

*२१३९. **श्री जांगड़े : गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १५ अगस्त, १९५१को कुछ संसद् सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को भेजे गये सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है क्योंकि इस समय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के बहुत कम लोग हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : सुझावों पर पूरे ध्यान से विचार किया गया है । यद्यपि उन सुझावों को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका है जिस में कि वे भेजे गये थे, तथापि कुछ दूसरे उपायों पर विचार किया जा रहा है जिन का भी लगभग वही परिणाम होगा जो उन सुझावों का । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई अन्तिम विनिश्चय किये जाने की आशा है । इस सिलसिले में मैं माननीय सदस्य का ध्यान श्री जाटव-वीर के २२ तारीख को पूछे गये प्रश्न संख्या १९७० के भाग (घ) के उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

कवियों के चित्र वाले डाक टिकट

*२१४०. **श्री ए० के० गोपालन : क्या संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग जल्दी ही ऐसे टिकट निकालने वाला है जिन में भारत के कवियों के चित्र होंगे ;

(ख) टिकटों पर किन किन कवियों के चित्र रहेंगे ;

(ग) क्या सरकार ने कवियों की सूची को अन्तिम रूप देने से पहले देश में कोई व्यापक पर्यालोकन किया था; तथा

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जनता की राय ज्ञात की है ?

संवरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख) हां; उन पर कुछ संत-कवियों तथा कवियों के, जैसे, तुलसी दास, मीरा बाई, सूरदास, कबीरदास, मिर्जा गालिब तथा रवीन्द्र नाथ टैगोर के चित्र होंगे ।

(ग) प्रस्तावित सूची में सब संत-कवि तथा कवि नहीं आये हैं । सरकार ने एक 'फोटोग्रेव्योर' मुद्रण मशीन (फोटो के चित्र को धातु की चद्दर पर उतार कर छापने वाली मशीन) ले ली है; अतः प्रारम्भ में इन कवियों के चित्रों के टिकट निकालने का फैसला किया गया है जिस से कि यह मशीन खाली न रहे। बाद में अन्य व्यक्तियों के चित्रों के भी टिकट जारी किये जायेंगे । सरकार के पास विभिन्न भाषाओं के तथा देश के भिन्न भिन्न भागों से सम्बन्ध रखने वाले कवियों तथा संत-कवियों के नामों की सूची है और इस में कोई सन्देह नहीं है कि भविष्य में उन के चित्रों के टिकट भी निकाले जायेंगे । सरकार ने उन सब नामों को ध्यान में रख लिया है जो सुझाये गये हैं या समाचार पत्रों में निकाले गये हैं और अगली बार ऐसे चित्र वाले टिकट निकालने का विचार किये जाने के समय उन सब पर पूर्ण ध्यान दिया जायेगा ।

(घ) जी नहीं, सामान्यतः ऐसा नहीं किया जाता ।

काश्मीर तथा जम्मू राज्य के तार तथा टेलीफ़ोन विभाग

*२१४१. **श्री यू० एम० त्रिवेदी : संचरणमंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि क्या संघ सरकार ने काश्मीर तथा जम्मू राज्य के तार तथा टेलीफोन विभागों का कोई नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, तथा यदि नहीं लिया है, तो क्यों नहीं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी नहीं । इस बात पर राज्यों के वित्तीय एकीकरण सम्बन्धी प्रस्थापनाओं के साथ साथ विचार किया जायगा ।

राजस्थान उच्च न्यायालय

*२१४२. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं;

(ख) कितने न्यायाधीश रखने की मंजूरी है;

(ग) जोधपुर बैंच में कितने मामले विचाराधीन हैं और जैपुर बैंच में विचाराधीन मामलों की संख्या क्या है;

(घ) २६ जनवरी, १९५० को न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी;

(ङ) राजस्थान राज्य में मिलाये जाने से पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या थी;

(च) वर्तमान खाली स्थान कब से चले आ रहे हैं; तथा

(छ) ये खाली स्थान क्यों नहीं भरे गये हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) पांच ।

(ख) छै ।

(ग) १८ जुलाई, १९५२ को ९७४ मामले तो जोधपुर में तथा २५८८ मामले जैपुर में विचाराधीन थे ।

(घ) नौ ।

(ङ) बीस ।

(च) तथा (छ). इस समय एक जगह खाली है क्योंकि गत नवम्बर में एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुआ था । अब इस जगह को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

सरकारी नौकरी में विदेशी राष्ट्रजन

*२१४३. **पंडित सी० एन० मालवीय :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के अधीन कितने विदेशी राष्ट्रजन सेवायुक्त हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : जैसा कि मैं ने श्री वैलायुधन के प्रश्न संख्या ६५१ के उत्तर में १० जून, १९५२ को बतलाया था, भारत सरकार के अधीन ६६० अभारतीय कार्य कर रहे हैं । मैं नहीं कह सकता कि क्या कोई ऐसे अभारतीय अगज़ेटेड कर्मचारी भी हैं जिन्हें इस में सम्मिलित नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है जो इकट्ठी हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिणी भारत को दालें भेजा जाना

*२१४४. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल चना, काला चना, लाल चना, मटर, चपटा चना, हरा चना, लोबिया तथा दालें आदि रेलों द्वारा उत्तरी भारत से जहां कि ये उत्पन्न होती हैं, दक्षिण को भेजी जाती हैं;

(ख) क्या सीधे भेजने के लिये डिब्बे मिल जाते हैं ;

(ग) क्या ये चीजें केवल बम्बई तक भेजे जाने के लिये ही बुक की जाती हैं और वहां से दक्षिण को जहाज़ द्वारा भेजी जाती हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन चीज़ों का बुकिंग प्रायः महीनों तक बन्द रहता है; तथा

(ङ) यदि माल रेल द्वारा उत्तर से सीधा दक्षिणी भारत भेजा जाय तो भेजने का प्रति मन खर्चा कितना आता है, और यदि वह बम्बई तक रेल से और फिर वहां से जहाज़ों से भेजा जाये तो खर्चा कितना आता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । सब स्थानों के लिये बुकिंग खुला है ।

(घ) जी नहीं । कभी कभी संचालन सम्बन्धी कारणों से बुकिंग रोक दिया जाता है, किन्तु एक साथ महीनों तक के लिये नहीं ।

(ङ) क्योंकि प्रश्न में विशिष्ट रूप से यह नहीं बतलाया गया है कि किन स्थानों से भेजा जाय और किन स्थानों को भेजा जाय, अतः यह जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

नर्सें

***२१४५. सरदार ए० एस० सहगल :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत की १०० नर्सों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये १०० अभ्यर्थी चुन ली हैं ?

(ग) क्या भारत सरकार प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगी या अन्य किसी प्रकार चुनाव करेगी; तथा

(घ) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय महिला संघ प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी भेजने को तैयार हो गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) भारत सरकार को आस्ट्रेलिया की सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) अखिल भारतीय महिला संघ को न्यूज़ीलैंड की कुछ महिला संस्थाओं से प्रशिक्षार्थी भेजने का जो आमंत्रण मिला है उस पर वह विचार कर रहा है ।

बड़ौदा जिले में डाक बांटने के क्षेत्र

***२१४६. श्री एम० एम० गांधी :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य के बड़ौदा ज़िले के छोटा उदेपुर तथा जुबुगम तालुकों में डाक बांटने के क्षेत्र निर्धारित कर दिये गये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में लोगों द्वारा कोई प्रार्थना पत्र भेजा गया है; तथा

(ग) यदि भेजा गया है, तो इस विषय में क्या पग उठाये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । इन दो तालुकों में डाकखानों के डाक बांटने के क्षेत्र ठीक तरह से निर्धारित हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

बड़ौदा ज़िले में डाकघर

***२१४७. श्री एम० एम० गांधी :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा ज़िले के छतरली तथा कलरनी गांवों ने वहां डाकघर खोलने के लिये प्रार्थना पत्र भेजे हैं

यह भी मान लिया है कि यदि कोई नुकसान हुआ तो उसे वे सहन करेंगे ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) छतरली तथा कलरनी के निवासियों ने डाकघर खोले जाने के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं और छतरली ने हानि होने की दशा में उसे पूरा करने का भी आश्वासन दिया है । क्योंकि अब तक विभाग का ध्यान केवल उन गांवों में ही डाकघर खोलने पर रहा है जिनकी जनसंख्या २,००० या उससे अधिक है और इन दो गांवों की जन संख्या क्रमशः ६५८ और ७३३ है, अतः यहां डाक घर नहीं खोले गये हैं । परन्तु क्योंकि छतरली के लोगों ने हानि को पूरा करने का आश्वासन दिया है, अतः उस के मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है । हां, जहां तक कलरनी का प्रश्न है, वहां कोई डाकघर खोलने की बात पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां के लोगों द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

उत्तर काशी तथा होजई में बेतार का तार केन्द्र

*२१४८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हुए सामान्य निर्वाचन के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी और आसाम के होजई नामक स्थानों में बेतार का तार केन्द्र खोले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब वे बन्द कर दिये गये हैं; तथा

(ग) यदि बंद कर दिये गये हैं, तो उन क्षेत्रों में जनता की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हाल ही में हुए सामान्य निर्वाचन के सिलसिले में आसाम के हाजो नामक स्थान में ३१ दिसम्बर, १९५१ को एक बेतार का तार केन्द्र खोला गया था । उत्तर काशी का बेतार का तार केन्द्र २६ मई, १९५२ को, अक्तूबर १९५२ में समाप्त होने वाले तीर्थ काल में आने वाले यात्रियों के लाभ के लिये, खोला गया था ।

(ख) हाजो का बेतार का तार केन्द्र २८ जनवरी, १९५२ को बन्द कर दिया गया था । उत्तर काशी का बेतार का तार केन्द्र अभी चल रहा है ।

(ग) हाजो से १२ मील दूर अमीन गांव में एक तारघर है । इस क्षेत्र में उत्तर लखीमपुर तथा सादिया के बेतार का तार केन्द्र भी हैं ।

श्रम अधिकारी

*२१४९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के अधीन कोई श्रम अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि कर रहे हैं, तो उन की संख्या क्या है और वे क्या काम करते हैं;

(ग) क्या सरकार उन की संख्या में वृद्धि करने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ; तथा

(घ) क्या सरकार को विश्वास है कि वे कोई लाभदायक कार्य कर रहे हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क जी हां ।

(ख) नौ । श्रम अधिकारी (सैंट्रल पूल) भर्ती तथा सेवा की शर्तें, १९५१ के नियम ११ में से एक संगत उद्धरण, जिस में उन के कार्य बतलाये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

टूँडला-कासगंज रेलवे लाइन

*२१५०. **चौ० रघुबीर सिंह:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कभी एटा होकर टूंडला से कासगंज तक एक रेल लाइन बनाने के लिये परिमाप किया गया था; तथा

(ख) क्या निकट भविष्य में उक्त परिमाप के पुनः प्रारम्भ किये जाने की कोई सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) निकट भविष्य में कोई परिमाप करने का विचार नहीं है ।

चीन से चावल का आयात

*२१५१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चीन से दस हज़ार टन चावल का आयात किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो यह चावल भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के बीच किस प्रकार बांटा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). हम ने चीनी सरकार के साथ चीन के एक लाख मीटरिक टन चावल खरीदने का करार किया है। १७-७-५२ तक कोई १९,३०० लौंग टन चावल प्राप्त हुआ है तथा इस प्रकार बांटा जा रहा है :—

(१) बम्बई	३,६००
(२) पश्चिमी बंगाल	६,१००
(३) मद्रास	७,६००
(४) त्रावनकोर-कोचीन	२,०००
	१९,३००

शिलौंग-अगरतल्ला रोड

*२१५२. **श्री एस० सी० देब** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलौंग-अगरतल्ला सड़क राष्ट्रीय राजपथ है और क्या उस पर कार्य उसी के अनुसार हो रहा है;

(ख) इस का कितना भाग नये सिरे से बनाया जायेगा और कितना भाग पुरानी सड़क से लिया जायेगा ; तथा

(ग) काम इस समय किस अवस्था पर है और कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) केवल पस्सी-बदरपुर तथा चुरइ-बरी-अगरतल्ला भागों को नये सिरे से बनाया गया है। अन्य भाग तो वर्तमान कच्ची सड़कों को ठीक-ठाक कर के बनाये गये हैं।

(ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये **परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २६**]

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे

*२१५३. **डा० एन० बी० खरे** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति रेलों के पुनर्वर्गीकरण तथा पुनर्संगठन योजना के अधीन असरकारी रेल कम्पनियों को ले लेने की है ;

(ख) शाहदरा--सहारनपुर लाइट रेलवे का ठेका पिछली बार कब समाप्त हुआ था;

(ग) क्या ठका फिर से दे दिया गया है; तथा

(घ) यदि दे दिया गया है, तो क्यों ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं । असरकारी कम्पनियों की रेलों का लिया जाना सम्बन्धित प्रक्षों के साथ ठेकों द्वारा विनियमित होता है ।

(ख) से (घ) गत बार सरकार को शाहदरा (दिल्ली) सहारनपुर लाइट रेलवे को अपने हाथ में लेने का विकल्प दिनांक १८-४-४८ को मिला था परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार ने उस का उपयोग नहीं किया । ठेके के पुनर्नवीकरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वर्तमान ठेके की शर्तों के अनुसार, यदि विकल्प का उपयोग नहीं किया जाता है तो वह अपने आप स्थगित हो जाता है और प्रत्येक ७ वर्ष के बाद फिर मिलता है ।

गारो पहाड़ी को आसाम की मुख्य रेल व्यवस्था से मिलाने वाली रेल लाइन

***२१५४. जनाब अमजद अली** : क्या रेल मंत्री १४ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७४१ (ग) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की मुख्य रेल व्यवस्था से गारो पहाड़ी के कोयला-क्षेत्रों तक रेल लाइन बनाने के लिये कोई प्रारम्भिक परिमाप किया गया था, तथा यदि किया गया था, तो किस स्थान से किस स्थान तक के लिए;

(ख) प्रस्तावित रेल लाइन की अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) क्या जोगीघोपा तथा पोमेहरत्ला के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक पुल बनाने की लागत का भी अनुमान लगाया गया था तथा यदि लगाया गया था तो कुल अनुमान कितना था; तथा

(घ) ये अनुमान कब लगाये गये थे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) पांडु से अमजंगा हो कर गारो पहाड़ी के दारनगिरि स्थान तक एक रेल लाइन के निर्माण के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग परिमाप किया गया था ।

(ख) लाइन पर ५२९.९१ लाख रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान उनके २३ जून, १९५२ को पूछे गये प्रश्न संख्या ११११ के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है जिसमें उन्हें यह बतलाया गया था कि पुल के निर्माण की लागत का कोई अनुमान नहीं तैयार किया गया है ।

(घ) पांडु तथा दारनगिरि के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने की लागत का अनुमान सन् १९५० में लगाया गया था ।

अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े हुये वर्ग

***२१५५. श्री इलयापेरुमल** : गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिये कोई आयोग नियुक्त किया है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मामला विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय शीघ्र ही किया जायेगा ।

दियासलाई की लकड़ी तथा सेमल के वृक्ष

५३८. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दियासलाई की लकड़ी तथा सेमल के वृक्षों के लगाये जाने की योजना को कार्यान्वित किया है;

(ख) इन वृक्षों के लिये सर्वाधिक उपयुक्त भूमि किस राज्य की है;

(ग) इस योजना की कार्यान्विति में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को क्या योग दे रही है; तथा

(घ) इस योजना के अन्तर्गत भिन्न भिन्न राज्यों को कितनी कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) दियासलाई की लकड़ी के वृक्षों के लिये उपयुक्त स्थान प्रत्येक राज्य के रक्षित वनों में मौजूद हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा किये गये कुल व्यय का ५० प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार ने देना स्वीकार कर लिया है।

(घ) वर्ष १९५२-५३ के लिये हमने भिन्न भिन्न राज्यों को निम्नलिखित धनराशियां देना स्वीकार कर लिया है :

	रुपये
(१) उत्तर प्रदेश	७८,०००
(२) आसाम	५०,०००
(३) बम्बई	६०,०००
(४) त्रावनकोर-कोचीन	४०,०००
(५) मद्रास	७,०००
पूर्ण योग	२,३५,०००

खाद्यान्न का आयात (भाड़ा)

५३९. **श्री झुनझुनवाला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५१ में भारत में किन किन राज्यों से कितना तथा कितने मूल्य का खाद्यान्न आया ;

(ख) यह खाद्यान्न भिन्न भिन्न विदेशी पत्तनों से कितने स्टीमरों द्वारा लाया गया;

(ग) भारत के भिन्न भिन्न पत्तनों में कितना कितना खाद्यान्न उतारा गया ; तथा

(घ) सन् १९५१ में भारत सरकार ने खाद्यान्न के आयात पर डालरों, स्टर्लिंगों तथा रुपयों में कितना कितना भाड़ा दिया तथा इस प्रकार कुल भाड़ा कितना दिया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) १९५१ में कोई २१६ करोड़ रुपये के मूल्य का ४७ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया। आयात किये गये खाद्यान्न की अलग अलग मात्रा तथा मूल्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित खाद्य समंक सम्बन्धी बुलेटिन के जनवरी १९५२ के संस्करण में दिये हुए हैं। इस समय यह बतलाना कि प्रत्येक देश से कितने मूल्य का खाद्यान्न मंगाया गया लोकहित में इष्टकर नहीं होगा।

(ख) ६६२ स्टीमरों द्वारा।

(ग) १९५१ में भारत के भिन्न भिन्न पत्तनों पर उतारे गये खाद्यान्न की मात्रा इस भांति है :—

पत्तन का नाम	मात्रा '००० टनों में
बम्बई	१६२७·७
कलकत्ता	१५१४·५
मद्रास	४७७·५
कोचीन	५६६·३
विशाखापटनम	२०५·१
भावनगर	२५·१
नवलखी	१५७·१
टूटीकोरिन	८५·५
मरमुगोआ	२५·७
कालीकट	१४·८
ओखा	२८·६
काकीनदा	६·४
पूर्ण योग	४७२४·३

(घ) इस समय डालरों, स्टर्लिंगों तथा रुपयों में अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथा यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है। शीघ्र ही सदन पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें अपेक्षित जानकारी होगी।

आसाम में राष्ट्रीय राजपथ

५४०. श्री जे० एन० हजारिका : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में मकुम से लेकर लेडो तक की सड़क जो कि राष्ट्रीय राजपथ का भाग है की कुल लम्बाई कितने मील है; तथा वर्ष १९५०-५१ और १९५१-५२ में उसके सुधार पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; तथा

(ख) वर्ष १९५२-५३ में ऊपरी मरम्मत (सर्फ़ेस ड्रैसिंग) पर कितना धन व्यय किया जायेगा तथा यह भाग कब तक तैयार हो जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) २७ मील; १९५०-५१ में ४४,०५० रुपये तथा १९५१-५२ में ८४,००० रुपये।

(ख) १९५२-५३ में ऊपरी मरम्मत (सर्फ़ेस ड्रैसिंग) आदि के लिये २७ लाख रुपये रखे गये हैं। आशा की जाती है कि यह कार्य सन् १९५४ तक पूरा हो जायेगा।

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन

५४१. श्री एस० एन० दास : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे व्यक्तियो की कुल संख्या जो पाकिस्तान राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्षेत्र में आकर, संविधान के प्रारम्भ होने पर; संविधान के अनुच्छेद ६(ख) (१) के अनुसार, भारत के नागरिक समझे जाते हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या १९ जुलाई, १९४८ को पाकिस्तान से भारत आकर संविधान के अनुच्छेद ६ (क) (२) के अनुसार भारत के नागरिक पंजीबद्ध किये गये हैं;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो एक बार पाकिस्तान जाकर पुनः, भारत में बसने या स्थायी रूप से वापस लौटने के अनुमति-पत्र के अन्तर्गत, भारत वापस आ गये हैं और संविधान के अनुच्छेद ७ के अनुसार नागरिक बना लिये गये हैं; तथा

(घ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने, आज की तिथि तक, संविधान के अनुच्छेद ८ के अन्तर्गत, अपने आप को भारत के नागरिक पंजीबद्ध कराया है तथा भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न आंकड़े ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी

ग़ैर-विभागीय डाकघर

५४२. श्री एस० एन० दास : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग़ैर-विभागीय डाकघरों के कार्य संचालन में क्या क्या मुख्य कठिनाइयां आती हैं, जो इन डाकघरों के पोस्टमास्टरों द्वारा विभाग को बतलाई गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे बहुत से डाकघरों में मनी आर्डरों का भुगतान करने के लिये पर्याप्त धनराशि मौजूद नहीं रहती जिसके परिणामस्वरूप मनी आर्डरों का भुगतान एक एक सप्ताह या पन्द्रह पन्द्रह दिन तक नहीं होता और जनता को बड़ी असुविधा होती है; तथा

(ग) ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन के अभाव में ग्रामीण डाकघरों का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पाता ?

संचरण उप मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ग़ैर-विभागीय पोस्टमास्टरों द्वारा ऐसी कोई विशेष कठिनाइयां नहीं बतलाई गई हैं जो ग़ैर-विभागीय डाकघरों के कार्य संचालन में होती हों ।

(ख) सामान्यतया, गैर-विभागीय डाकघरों में प्राप्त मनी आर्डरों के भुगतान के लिये पर्याप्त धन राशि मौजूद रहती है । हां, कुछ ऐसे डाकघरों में, जो अन्दरूनी क्षेत्रों में स्थित होते हैं और सब-ट्रैजरी से दूर होते हैं कभी कभी, जब मनी आर्डरों के भुगतान के लिये अपेक्षित राशि उस समय वहां मौजूद राशि से अधिक होती है, भुगतान में अवश्य विलम्ब हो जाता है । ऐसी दशा में मनी आर्डरों का भुगतान तब तक रुका रहता है जब तक और धनराशि न आ जाय। सम्बन्धी डाकघरों में रुपये की उपलब्धता विभिन्न स्थिति पर बहुत ध्यान रखा जाता है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे स्कूल

५४३. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारतीय रेलों के कितने रेलवे स्कूल हैं:

(ख) उनमें से कितने आंग्ल-भारतीय हैं और कितने भारतीय हैं; तथा

(ग) यदि वर्तमान रेलवे स्कूलों में सब रेल कर्मचारियों के सब बच्चे न खप सकते हों, तो क्या उस दशा में शिक्षार्थ बाहर भजे गये बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्यय का कुछ भाग रेलवे सहन करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) १४४।

(ख) ६४ आंग्ल-भारतीय स्कूल तथा ८० भारतीय स्कूल ।

(ग) नहीं, जब तक कि ऐसा स्कूल राज्य रेलवे स्थापना कोड, अंक १ के नियमों में दिय हुये निर्धारित प्रमाप वाला न हो ।

कोसा (टसर) और लाख सम्बन्धी अनुसन्धान

५४४. **श्री जांगड़े:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोसा और लाख की उपज बढ़ान के लिये सरकार ने क्या प्रयोग या अनुसन्धान किये हैं और उनके क्या परिणाम हुये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २७]**

डाकघर

५४५. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **संचरण** मंत्री वर्ष १९५१-५२ में बन्द किये गये डाकघरों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (१) बन्द किये गये ग्रामीण डाकघरों की संख्या—१८ ।

(२) बन्द किये गये नगरीय डाकघरों की संख्या—१४ ।

खाद्यान्न का उत्पादन

५४६. **श्री घूसिया:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में अतिरिक्त खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य क्या था और वास्तविक उत्पादन उस लक्ष्य से कितना कम रहा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १४ लाख टन। क्योंकि वर्ष १९५१-५२ जून १९५२ में ही समाप्त हुआ है, अतः वास्तविक उत्पादन के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं।

स्लीपर (क्रय)

५४७. **श्री जसानी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में रेल विभाग द्वारा खरीदे गये स्लीपरों की मात्रा ;

(ख) इन स्लीपरों के सम्बन्ध में दिया गया मूल्य, वर्षवार; तथा

(ग) स्लीपरों के खरीदे जाने के सम्बन्ध में सरकार सामान्यतः किस नीति का अनुसरण करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) वर्ष १९४९-५० और वर्ष १९५०-५१ के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी तो रेलवे बोर्ड की भारतीय रेलों सम्बन्धी इन वर्षों की रिपोर्ट के अंक १ में क्रमशः कंडिका ९५ तथा कंडिका ९३ में दी हुई है। जहां तक वर्ष १९५१-५२ का सम्बन्ध है, आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और १९५१-५२ की रिपोर्ट में समाविष्ट कर दिये जायेंगे।

(ख) वर्ष १९४९-५० और वर्ष १९५०-५१ के सम्बन्ध में यह जानकारी रेलवे बोर्ड की भारतीय रेलों सम्बन्धी इन वर्षों की रिपोर्ट के अंक २, परिशिष्ट क में दी हुई है। जहां तक वर्ष १९५१-५२ का सम्बन्ध है, आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उस वर्ष की रिपोर्ट में सम्मिलित कर दिये जायेंगे।

(ग) स्लीपर दो प्रकार के होते हैं—

(१) लकड़ी के स्लीपर ; तथा

(२) धातु के बने स्लीपर, जो—

(१) ढले हुए लोहे; अथवा

(२) इस्पात के हो सकते हैं।

लकड़ी के स्लीपर खरीदने के लिये तीन रेलवे क्रय संस्थायें हैं, जिन्हें 'स्लीपर ग्रुप' कहा जाता है। ये 'ग्रुप' अपने अपने 'ज़ोन' में रेलवे की आवश्यकतानुसार स्लीपरों के खरीदने का प्रबन्ध करते हैं—*कुछ राज्य* वन विभागों के द्वारा और कुछ खुले टेंडर मांग कर।

ढले हुए लोहे के स्लीपरों के खरीदने का प्रबन्ध रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है जो प्रति वर्ष पुराने सार्थों के साथ या ऐसे सार्थों के साथ जो स्लीपरों का निर्माण करते हैं, क़रार करता है। ये क़रार या तो बातचीत द्वारा या टेंडर मांग कर किये जाते हैं। कुछ ढले हुये लोहे के स्लीपर रेलवे के कारखानों में भी तैयार किये जाते हैं।

जहां तक इस्पात के बने स्लीपरों का सम्बन्ध है, रेलवे अपनी मांग रसद तथा उत्सर्जन के महानिदेशक (निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय) को भेज देती है, जो निर्माणिक सार्थों से टेंडर मांग कर उनके लिये आर्डर दे देते हैं।

गवर्नमेंट मैडिकल कालिज, उड़ीसा

५४८. **श्री संगणा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या उड़ीसा के गवर्नमेंट मैडिकल कालिज का भारतीय चिकित्सा परिषद् (इंडियन मैडिकल काउन्सिल) द्वारा पुनर्संगठन किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है तो कब;

(ग) यदि नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं ;

(घ) क्या उत्कल विश्वविद्यालय (उड़ीसा) से प्राप्त डाक्टरी की डिग्रियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन नौकरियों के सम्बन्ध में मान्यता दी जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् (इंडियन मैडिकल कौंसिल) किसी डाक्टरी योग्यता को केवल तभी मान्यता देती है जब कि उसे उस अमुक योग्यता के प्रमाप के बारे में पूर्ण संतोष हो जाये । चिकित्सा परिषद् द्वारा नियुक्त निरीक्षकों की, कालिज में दी जाने वाली सुविधाओं तथा उत्कल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं सम्बन्धी रिपोर्टें तथा उन पर भारत की चिकित्सा परिषद् की राय, विश्वविद्यालय के विचाराधीन हैं । जब तक विश्वविद्यालय उन पर अपने विचार नहीं भेज देता तब तक भारत की चिकित्सा परिषद् इस विषय में कोई विनिश्चय करने की स्थिति में नहीं होगी ।

(घ) क्योंकि उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों को अभी भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अधिनियम, १९३३ के अन्तर्गत मान्यता नहीं प्रदान की गई है, अतः ऐसी डिग्रियों वाले व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के पद धारण नहीं कर सकते ।

टी० बी० रेलवे प्राधिकार

५४९. **श्री जे० एन० हजारिका** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के पूर्व टी० बी० रेलवे प्राधिकार को, जो कि अब पूर्वोत्तर रेलवे में मिला दी गई है, कितना प्रतिकर दिया गया या दिया जाने वाला है ; तथा

(ख) उस (टी० बी०) रेलवे में कितने कर्मचारी सेवायुक्त हैं, तथा क्या पूर्ण एकीकरण के बाद भी उन सब कर्मचारियों को अपनी जगहों पर रहने दिया जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तेजपुर-बालीपाड़ा रेलवे १ सितम्बर, १९५२ को ली जानी है तथा उसकी जो क़ीमत दी जानी है उसके बारे में अभी कम्पनी के साथ बात-चीत चल रही है ।

(ख) तेजपुर–बालीपाड़ा रेलवे में कर्मचारियों की कुल संख्या २६० है । एकीकरण के बाद समस्त वर्तमान कर्मचारियों को रहने दिया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि वे रेलवे की नौकरी के लिये उपयुक्त और अर्ह हों और नौकरी जारी रखने की इच्छा रखते हों ।

रेलवे सैलून

५५०. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के आसाम खंड में सैलूनों की संख्या क्या है ; तथा

(ख) ये सैलूनें उक्त रेलवे के आसाम खंड में कहां तक आवश्यकता से अधिक हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के 'पांडु रीजन' में तेईस 'इंस्पैक्शन कैरिज' हैं जिन में सात बोगियां और सोलह छै या चार पहिये वाली कैरिज शामिल हैं ।

(ख) इस बात की जांच 'पांडु रीजन' में पुनर्वर्गीकरण योजना के पूर्ण रूप से कार्यान्वित किये जाने के बाद की जायेगी ।

विस्थापित सरकारी कर्मचारी

५५१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त के कोई विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को 'ट्रांसफ़र ब्यूरो' द्वारा केन्द्रीय सचिवालय में नौकरियां दिलवाई गई थीं ;

(ख) यदि दिलवाई गई थीं, तो कितनों को ;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारी स्थायी बनाये जा चुके हैं ; तथा

(घ) क्या इन कर्मचारियों की ज्येष्ठता तथा निवृत्तिवेतन सम्बन्धी लाभों के बारे में विनिश्चय करते समय उनकी उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त में सेवावधि तथा उनके द्वारा वहां धारण किये गये पदों का ध्यान रखा जाता है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी हां ।

मुज़फ्फ़राबाद के विस्थापित व्यक्ति

५५२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर में हमलावरों के आक्रमण के दौरान में मुज़फ्फ़राबाद से विस्थापित हो कर जाने वाले हिन्दुओं और सिखों की संख्या क्या थी ;

(ख) उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट विस्थापित व्यक्तियों में से कितने भिन्न भिन्न कैम्पों में दाखिल किये गये हैं; तथा

(ग) क्या अन्य व्यक्तियों को भी (जो किसी कैम्प में नहीं गये) पुनर्वास के सम्बन्ध में वही सुविधायें दी गई हैं या दी जा रही हैं जो कैम्पों में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्य हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) काश्मीर में हमलावरों के आक्रमण के दौरान में मुजफ्फ़राबाद या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अन्य भागों से विस्थापित हो कर जाने वाले व्यक्तियों की गणना नहीं की गई है । हां, राज्य सरकार के पास जो जानकारी है वह इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा संचालित दो रिलीफ़ कैम्पों (सहायता शिविरों) में दाखिल किये गये व्यक्तियों की संख्या इस भांति थी :

(१) जम्मू के नगरोटा कैम्प में ३७० परिवार, जिन में लगभग १४५० व्यक्ति थे ।

(२) योल कैम्प में ७४४ परिवार जिन में लगभग २,९०० व्यक्ति थे ।

जम्मू तथा काश्मीर की सरकार द्वारा चलाये जाने वाले रिलीफ कैम्पों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(ग) काश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से जम्मू तथा काश्मीर सरकार पर है । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान १४ जुलाई १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४०८ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

नागपुर—पारसिया रेलवे लाइन

५५३. **श्री चाण्डक** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर-छिंदवाड़ा-पारसिया की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल देने की कोई योजना या प्रस्ताव सरकार के हाथ में है ; तथा

(ख) यदि है तो सरकार ने इस विषय में क्या पग उठाया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

ट्रावनकोर-कोचीन को खाद्यान्न दिया जाना

५५४. **श्री अच्युतन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५२ के पहले छः मासों में त्रावनकोर-कोचीन राज्य को कितना खाद्यान्न दिया गया तथा उसमें से कितना चावल था ;

(ख) क्या उक्त सम्पूर्ण मात्रा बाहर से आयात किये गये या स्थानीय तौर से प्राप्त खाद्यान्न में से दी गई थी ; तथा

(ग) बाहर से आयात किये गये तथा स्थानीय तौर से प्राप्त चावल तथा गेहूं के प्रति टन मूल्यों में क्या अन्तर है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवाई) : (क) १ जनवरी से ३० जून १९५२ तक की कालावधि में त्रावनकोर-कोचीन को दिये गये खाद्यान्न की कुल मात्रा २,२६,१५३ टन थी । इसमें से १,७३,७०१ टन चावल था ।

(ख) दी गई मात्रा में कुछ तो बाहर से आयात किया गया खाद्यान्न था और कुछ भारत के खाद्य आधिक्य वाले राज्यों द्वारा किया गया ।

(ग) स्थानीय तौर से उत्पन्न चावल के गोदाम मूल्य और (क) आयात किये गये मोटे चावल तथा (ख) आयात किये गये बढ़िया चावल के मूल्य में क्रमशः ८ रुपये ७ आने तथा ११ रुपये १२ आने प्रति मन का अन्तर है । गेहूं तो राज्य में उत्पन्न ही नहीं होता ; अतः आयात किये गये तथा स्थानीय तौर से उत्पन्न किये गये गेहूं के मूल्यों में अन्तर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सड़क अनुसन्धान संस्थायें

५५५. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत संघ में कौन कौन सी सड़क अनुसन्धान संस्थायें कार्य कर रही हैं उन्होंने किस किस तारीख से कार्य करना प्रारम्भ किया है उन पर कितना व्यय होता है तथा उनके प्रमुख अधिकारियों के नाम हैं जिनकी देखरेख में वे कार्य कर रही हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस समय भारत में एकमात्र सड़क अनुसन्धान संस्था जो सब दृष्टि से पूरी कही जा सकती है दिल्ली में ओखला के निकट केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था है जिसका उद्घाटन १६ जुलाई १९५२ को प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। इसने एक अस्थायी भवन में सन् १९५० के प्रारम्भ से कार्य करना शुरू किया था । वर्ष १९५१-५२ में इसका मासिक व्यय लगभग ३२,००० रुपये था । इसके संचालक डा० अर्नेस्ट ज़िपके हैं ।

कलकत्ते में एक 'सैंट्रल रोड टैस्ट ट्रैक' है जो सन् १९३९ में स्थापित किया गया था । इस पर लगभग ३,००० रुपये प्रति मास व्यय होता है । इसके कार्य की देखरेख पश्चिमी बंगाल के मुख्य इंजीनियर द्वारा की जाती है जो परामर्शक इजीनियर (सड़क) [कन्सल्टिंग इजीनियर (रोड)] की ओर से कार्य करते हैं ।

इस समय कुछ राज्य प्रयोगशालायें भी हैं जो करनाल, लखनऊ तथा मद्रास ऐसे कुछ स्थानों पर कुछ सीमित क्षेत्र में सड़क अनुसन्धान कार्य कर रही हैं । परन्तु इन प्रयोगशालाओं का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। उनके स्थापित किये जाने की तारीखों प्रत्येक पर होने वाले मासिक व्यय तथा उनके सचालनकर्त्ता पदाधिकारियों के नामों के बारे में जानकारी प्राप्य नहीं है ।

हैदराबाद को खाद्यान्न दिया जाना

५५६. **श्री एच० जी० वैष्णव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) सन् १९५१ में हैदराबाद को विभिन्न खाद्यान्नों की कितनी मात्रा दी गई तथा उनका मूल्य क्या था;

(ख) उसी साल हैदराबाद राज्य में कितने तथा कितने मूल्य के खाद्यान्न का समाहार किया गया; तथा

(ग) जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है क्या हैदराबाद में राज्य की कुल आवश्यकता से अधिक अन्न उत्पन्न होता है या आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक मात्र होता है या आवश्यकता से कम होता है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) सन् १९५१ में हैदराबाद को कुल १,२९,००० टन खाद्यान्न दिया गया था जिसमें १७,००० टन चावल, ९६,००० टन गेहूं तथा १६,००० टन अन्य अनाज था। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें हैदराबाद को दिये गये विभिन्न खाद्यान्नों का मूल्य बतलाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ख) उसी साल हैदराबाद सरकार ने स्थानीय उत्पादन में से १,५९,००० टन खाद्यान्न का समाहार किया था जिसमें ६२,००० टन चावल ७,००० टन गेहूं तथा ९०,००० टन अन्य अनाज था। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें हैदराबाद राज्य में खाद्यान्नों के सन् १९५१ के समाहार मूल्य बतलाये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) सन् १९४६ तक तो हैदराबाद खाद्यान्न का निर्यात किया करता था परन्तु उसके बाद वह आयात करने लगा।

सीतापुर रेलवे स्टेशन

५५७. **श्री जी० एल० चौधरी:** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीतापुर स्टेशन पर, जो कि ओ० टी० रेलवे (अब उत्तर रेलवे) का एक प्रमुख स्टेशन है, बिजली नहीं है जब कि सीतापुर शहर में बिजली तथा बिजलीघर मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार इस स्टेशन पर बिजली लगाने का विचार कर रही है; तथा

(ग) यदि कर रही है, तो इसमें कितना रुपया लग जायेगा?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) तथा (ख). उत्तर 'हां' में है।

(ग) योजना की जांच हो रही है। विचार है कि ज्यों ही बिजली उचित दर पर प्राप्य हो, स्टेशन पर बिजली लगा दी जाये।

मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन

५५८. **श्री पटेरिया:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५१-५२ में मध्य प्रदेश में कितना गेहूं उत्पन्न हुआ;

(ख) राज्य की वार्षिक आवश्यकता कितनी है; तथा

(ग) इस वर्ष कितना गेहूं अन्य राज्यों को भेजा गया तथा उन राज्यों के नाम?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) मध्य प्रदेश में वर्ष १९५१-५२ में उत्पन्न गेहूं की मात्रा का अनुमान अभी प्राप्य नहीं है।

(ख) कोई ऐसा आंकड़ा बतलाना कठिन है जिससे एक ऐसे राज्य की खाद्य आवश्यकता पता लग सके जहां बहुत

संख्या में लोग राशन प्रणाली के अन्तर्गत अनाज नहीं लेते। आवश्यकता, अधिकांश रूप से, खाद्यान्न के मूल्य पर नर्भिर करती है। मध्य प्रदेश में, किसी सामान्य वर्ष में, राशन प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यकता कोई ५४,००० टन की होती है।

(ग) मध्य प्रदेश से गेहूं बाहर नहीं भेजा गया है।

झगड़िया-नेत्रंग रेलवे लाइन

५५९. **श्री सी० एस० भट्ट :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के सामने पश्चिम रेलवे के झगड़िया-नेत्रंग सैक्शन को डेडियापाड़ा तक बढ़ाने की कोई योजना है ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार इस सैक्शन को निकट भविष्य में बनाने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

फलों का निर्यात

५६०. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन कौन से भारतीय फल बिक्री के लिये विदेश भेजे जाते हैं ; तथा

(ख) वर्ष १९५१-५२ में उनके निर्यात से भिन्न भिन्न विदेशों से कितनी आय हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) काजू, अखरोट आदि शुष्क फलों और आम जैसे ताजे फलों को बे रोकटोक बाहर भेजने दिया जाता है। इसके अलावा, केले, चकोतरे, अंगूर, नारियल सोफोला, अमरूद आदि ताजे फलों के सीमित मात्रा में बाहर भेजे जाने की भी अनुमति है।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

भारत से वर्ष १९५१-५२ में स्थल, जल तथा वायु मार्गों से निर्यात किये गये ताजे तथा शुष्क (नमक लगे तथा डिब्बों में बन्द सहित) फलों का मूल्य

देश	मूल्य (लाख रुपये)
संयुक्त राज्य अमरीका	६४९
पाकिस्तान	३०६
संयुक्त राजतंत्र	२५४
कनाडा	२८
आस्ट्रेलिया	२२
लंका	१९
बर्मा	१४
अन्य	४३
पूर्णयोग	१३३५

देहाती डाकघर

५६१. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में उत्तर प्रदेश से देहातों में डाकघर खोलने के लिये कितन आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इन आवेदनपत्रों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में कितने डाकघर खोले गये हैं ; तथा

(ग) इनके खोले जाने पर अनुमानतः कितना खर्च हुआ है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ६३०।

(ख) तथा (ग). २२२ डाकघर खोले गये जिन पर २ लाख १८ हजार रुपये खर्च हुये ।

विशेष पुलिस स्थापना

५६२. श्री ए० के० बसु : क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें १९४७ से लेकर १९५२ तक के पत्री वर्षों में विशेष पुलिस स्थापना द्वारा गजेटेड पदाधिकारियों का चालान किया गया और उनके विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या—

(१) जो अब विचाराधीन हैं ;

(२) जिनमें अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया ;

(३) जिन में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया ; तथा

(ग) ऐसे मामलों की संख्या—

(१) जिनकी अपीलें विचाराधीन हैं,

(२) जिनमें अपील पर भी पहले न्यायालय का निर्णय मान्य रहा ;

(३) जिनमें अपील न्यायालयों द्वारा पहले न्यायालयों के निर्णयों को रद्द कर दिया गया ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३०]